RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581-3528 ₹ 20

केशव संवाद

श्रावण–भाद्रपद, विक्रम सम्वत् 2079 (अगस्त–2022)

द्रौपदी मुर्मू
सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता

आज़ादी का अमृत महोत्सव

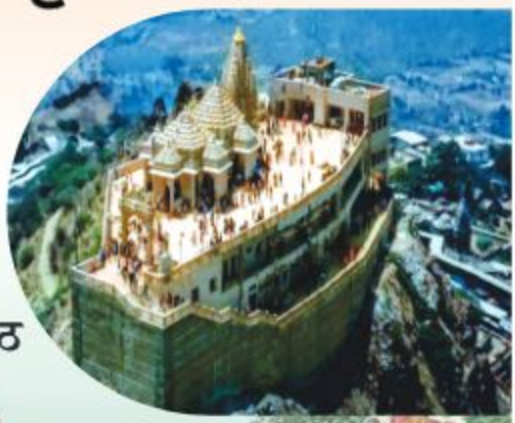

पावागढ़ का माता कालिका मन्दिर शक्तिपीठ

धार्मिक आस्था का प्रतीक कांवड़ यात्रा

अगस्त 2022, श्रावण-भाद्रपद, विक्रम सम्वत् 2079
हिन्दी पंचांग

रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
	1 विनायक चतुर्थी श्रावण शु.४	2 नागपंचमी श्रावण शु.५	3 सुपौदनवर्ण षष्ठी श्रावण शु.६	4 शीतला सप्तमी श्रावण शु.७	5 दुर्गाष्टमी श्रावण शु.८	6 श्रावण शु.९
7 श्रावण शु.१०	8 शिवपूजन पुत्रदा एकादशी श्रावण शु.११	9 मुहर्रम (ताज़िया) भौम प्रदोष श्रावण शु.१२	10 श्रावण शु.१३	11 नारीयेली पूर्णिमा रक्षाबंधन श्रावण शु.१४	12 भाद्रपद मासारंभ श्रावण पूर्णिमा भाद्रपद कृ.१	13 भाद्रपद कृ.२
14 भाद्रपद कृ.३	15 स्वतंत्रता दिवस/पतेती संकष्ट चतुर्थी भाद्रपद कृ.४	16 ऋषि पंचमी पारसी नूतन वर्ष भाद्रपद कृ.५	17 भाद्रपद कृ.६	18 श्रीकृष्ण जयंती जन्माष्टमी भाद्रपद कृ.७	19 गोपालकाला कालाष्टमी भाद्रपद कृ.८	20 भाद्रपद कृ.९
21 खोरदाद साल भाद्रपद कृ.१०	22 शिवपूजन भाद्रपद कृ.११	23 भागवत एकादशी भाद्रपद कृ.१२	24 पर्युषण पर्वारंभ प्रदोष भाद्रपद कृ.१२	25 शिवरात्री भाद्रपद कृ.१३	26 पोला दर्श अमावस्या भाद्रपद कृ.१४	27 कुशोत्पाटिनी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या
28 चंद्रदर्शन भाद्रपद शु.१	29 भाद्रपद शु.२	30 हरितालिका तृतिया भाद्रपद शु.३	31 ऊन संकष्टी श्रीगणेश चतुर्थी भाद्रपद शु.४			

अगस्त 2022 त्यौहार

02 मंगलवार	नाग पञ्चमी	03 बुधवार	कल्की जयन्ती	08 सोमवार	श्रावण पुत्रदा एकादशी
09 मंगलवार	प्रदोष व्रत	11 वृहस्पतिवार	रक्षा बन्धन, राखी, अन्वाधान	12 शुक्रवार	वरलक्ष्मी व्रत, गायत्री जयन्ती, श्रावण पूर्णिमा, इष्टि
14 रविवार	कजरी तीज	15 सोमवार	बहुला चतुर्थी, हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी	17 बुधवार	बलराम जयन्ती, सिंह संक्रान्ति
18 वृहस्पतिवार	जन्माष्टमी *स्मार्त	19 शुक्रवार	जन्माष्टमी *इस्कॉन, दही हाण्डी	23 मंगलवार	अजा एकादशी
24 बुधवार	प्रदोष व्रत	26 शुक्रवार	पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या	27 शनिवार	अन्वाधान, भाद्रपद अमावस्या
28 रविवार	इष्टि, चन्द्र दर्शन	30 मंगलवार	वराह जयन्ती, हरतालिका तीज	31 बुधवार	गणेश चतुर्थी

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

अगस्त, 2022

वर्ष : 22 अंक : 08

अणंज कुमार त्यागी

अध्यक्ष

प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक

कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक

डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल

डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र, डॉ. नीलम कुमारी, प्रो. अनिल निगम, डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी, अनुपमा अग्रवाल, अमित शर्मा

पृष्ठ संयोजन

वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय

प्रेरणा शोध संस्थान न्यास

सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301

फोन न. 0120 4565851, 2400335

ईमेल : keshavsamvad@gmail.com

वेबसाइट : www.premasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव	-डॉ. वेद प्रकाश शर्मा.....05
कांवड़ यात्रा सनातनधर्मियों की धार्मिक आस्था ...	- राम कुमार शर्मा.....06
द्रौपदी मुर्मू : सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता	- प्रमोद भार्गव.....08
भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति को नष्ट करने...	-प्रो. अनिल कुमार निगम.....10
पावागढ़ का माता कालिका मन्दिर शक्तिपीठ	- प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह.....12
आधी रात का शंखनाद	- अमित शर्मा.....14
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना...	-डॉ. प्रशान्त त्रिपाठी.....16
साक्षात्कार : एस. एन. ढींगरा	- अनिता चौधरी.....18
स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत का उदय	- डॉ. आनंद मधुकर.....20
पुस्तक समीक्षा- अनकही कथा	- डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया....22
इस्लाम का बढ़ता कट्टरवाद	- मोहित कुमार.....24
कट्टरता की दीक्षा और भारत	- नरेन्द्र भदौरिया.....26
दीन दुखी की सेवा करना, निश्चित कर्म हमारा है	- अनुपमा अग्रवाल.....27
विश्व व्यापार संगठन में भारत का प्रभावी...	- प्रहलाद सबनानी.....28
ये देश हमारा प्यारा, हिन्दुस्तान जहां से न्यारा	- नीलम भागी.....30
बहुराष्ट्रीय दवाई कम्पनियों का मकड़जाल	- मोनिका चौहान.....31
डॉ. हेडगेवार जी का स्वतंत्रता संग्राम	- पंकज जगन्नाथ जयस्वाल..32
मीडिया सुर्खियां	- प्रतीक खरे.....34
पत्रिका के जुलाई अंक की समीक्षा	- डॉ. प्रियंका सिंह.....35

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय.....

कोई भी देश या राज्य एक भूखंड मात्र नहीं होता बल्कि वहां की सभ्यता संस्कृति इतिहास और संघर्ष ही उसका अस्तित्व होता है। देश की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2023 तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की आधारभूत संरचना भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास एवं संघर्ष की परिधि में है। हमें यह समझना होगा कि देश की स्वाधीनता की लड़ाई में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई है। स्वाधीनता की लड़ाई का उत्साह चरम पर था और कोई भी शक्ति इसे कमजोर न कर सकी। स्वराज का विचार इतना सात्विक और शाश्वत था कि यह स्थानांतरित होता गया और इसी कारण आज हम स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की ऊर्जा का प्रतीक है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज आजादी के 75 साल के कालखंड में हम उन बलिदानों के साथ-साथ अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को भी याद कर रहे हैं जिसने भारत की विकासवादी यात्रा की नींव रखी। आज भारत विश्व में अग्रणी भूमिका में है जो वैश्विक शांति, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अपनी मूलभूत अवधारणा को लेकर आगे चल रहा है और विश्व को संदेश दे रहा है।

अमृत काल के इस पायदान पर हमें इसके संघर्ष में उन मील के पत्थरों एवं गुमनाम नायकों की कहानियों को अपनी आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करना आवश्यक है जिसने आज हमारे स्वतंत्र जीवन को वास्तविक बनाया। उन विचारों और आदर्शों को तटस्थता देना जो आने वाले समय में हमें एक सुसंस्कृत आकार प्रदान करें व भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाए। वैश्विक परिस्थितियां शीघ्रता से परिवर्तित हो रही है ऐसे में अपने लक्ष्यों में विशिष्टता उत्पन्न करना एवं उन विशिष्ट लक्षणों में प्रतिबद्धता के साथ सामूहिक संकल्प का सृजन करना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत इन उद्देश्यों से भावात्मक तारतम्यता बनी रहती है जिस से प्रेरित होकर जन-जन में उन लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को जीवंत करने में सहायता मिलती है। निश्चित रूप से कोविड महामारी के बाद भारत ने इस वैश्विक व्यवस्था में अपना एक अलग स्थान बनाया है। यह सब संभव हो पाया है नीतियों की पारदर्शिता व प्रतिबद्धता के कारण जहां सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन व समाज ने तटस्थ दृष्टि के साथ अपने विचारों को संस्कृति के संरक्षण के साथ प्रस्तुत किया है। जिसके फलस्वरुप ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो पाया है। निश्चित रूप से यह नये भारत का सृजन काल है जहां सामाजिक समरसता व न्याय के उदाहरण के रूप में हम राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। जिनके चयन ने लोकतांत्रिक भारतीय संविधान को भी गौरवान्वित किया है और भारत राष्ट्र की संप्रभुता व अखंडता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। आप सभी को स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह अंक आप सभी सुधी पाठकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव

डॉ. वेद प्रकाश शर्मा

हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है। अमृत महोत्सव में हर्षोल्लास होना ही चाहिए, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग होना ही चाहिए परन्त बाद की बात अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता की निरंतरता पर चिंतन और मंथन करना भी अति आवश्यक है, नहीं तो अमृत महोत्सव का उल्लास बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए आज हमारे राष्ट्र के समक्ष जो चुनौतियां खड़ी हैं या जो विद्रूप उपस्थित है या साधारणा भाषा में कहूं कि जो समस्याएं हैं, उन पर भी गंभीरता से चिन्तन और मंथन करना इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए।

इन चुनौतियों के दो प्रकार प्रमुख हैं जिनमें एक तो बाह्य चुनौतियां हैं और दूसरी आंतरिक चुनौतियां हैं। बाह्य चुनौतियों में अन्य देशों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां सामने दिखती हैं। उनका कूटनीतिक हल किया जा सकता है और वर्तमान सरकार बड़े कूटनीतिक तरीके से उनका समाधान सम्मान पूर्वक कर रही है जैसे अमेरिका और चीन की तरफ से आने वाली चुनौतियों को वर्तमान भारत सरकार ने बहुत ही सम्मानजनक ढंग से हल किया है।

इन बाह्य चुनौतियों में कुछ गुप्त यानी खुफिया चुनौतियां भी होती हैं जो अधिक गंभीर होती हैं और अधिक खतरनाक भी हैं। इनसे निपटना भी आसान नहीं होता है – जैसे पाकिस्तान द्वारा जो प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध किया जा रहा है जो एक गंभीर चुनौती है। क्योंकि वह भारत से सीधा युद्ध नही कर सकता है इसलिए वह छद्म युद्ध कर रहा है और उसका एकदम निकटतम यानी जो ताजा उदाहरण है हिन्दुओं की नृशंस हत्या जिसमें उन्हें तालिबानी तरीके से गलाकाट कर मारा गया है क्योंकि उनके तार विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैं। इसलिए यह बाह्य गंभीर चुनौती है।

पर यह चुनौती साधारण आदमी से इसलिए जुड़ी है कि इसमें हमारे ही देश के नागरिकों का देशद्रोह में उपयोग किया गया है और ये वही भारत के नागरिक हैं जो भारत का खाते हैं यहां के संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, सबसे अधिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं और सदा अपने आप को सताए हुए दिखाते हैं। उन्होंने ही शत्रु देश के दूल के रूप में काम किया है और उन्होंने यह काम पैसे के लिए नहीं अपितु अपने मजहब के प्रचार–प्रसार और उत्थान के लिए किया है। यह अत्यंत गंभीर विषय है। इसलिए इस चुनौती से निपटना भारत सरकार के लिए निकटतम है क्योंक इसमें हमारे ही देश के नागरिक शत्रु देश के लिए मजहब के नाम पर काम कर रहे हैं। इसलिए उनसे निपटना आसान नहीं है। सीमा पर तो हमारे सैनिक हर तरह की चुनौती का मुकाबला करने के लिए हर क्षण तत्पर और सिद्ध रहते हैं परंतु अंदर जो नागरिक शत्रु देश से मिले हुए हैं, उनसे निपटना सेना का काम नहीं है, प्रशासन का काम है। परंतु प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन हैं और कुछ राज्य सरकारें अपने स्वार्थों के लिए इन देशद्रोही नागरिकों के बचाव का भी हर संभव प्रयास करती हैं। परन्तु देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जहां राज्य सरकारों की है वहीं केन्द्र सरकार की अधिक है। इसमें यदि राज्य सरकारें अपने स्वार्थों के लिए सहयोग न भी करें तो केन्द्र सरकार को इस तरह की कार्य योजना बनानी बहुत आवश्यक है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रह सके। वैसे केन्द्र सरकार अपने तरीके से कर भी रही है। इसलिए देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर इस समस्या पर भी विचार किया जाना अति आवश्यक है। यदि हमने इसे अनदेखा कर दिया तो फिर आने वाले दिनों में स्वतंत्रता के उत्सव मनाना भी कठिन हो जाएगा।

परंतु यह काम सहज यानि आसान नहीं है। हमें धर्मांधता को खत्म करना है पर यह सहज नहीं हैं क्योंकि जब भी सरकार थोड़ा भी प्रयास करती है तो शत्रु समर्थक धर्मान्ध लोग ही नहीं कुछ अन्य तथाकथित मानवाधिकारी देशद्रोही और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनके साथ आ खड़े होती है। और इतना ही नहीं उनसे भी आगे आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए पहला कदम तो सरकार को यह उठाना चाहिए कि सरकार देश के निवासियों को समान भारतीय माने, अलग–अलग खांचों में नहीं बांटा जाए जिस तरह से पहले से बांटा हुआ है यथा अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक, अगड़े–पिछड़े, स्त्री–पुरुष आदि आदि।

यह पहला और अति महत्वपूर्ण कदम है जिससे सब नागरिक समान होंगे तो देश में पूरी तरह से न सही परंतु आंशिक रूप में तो यह समानता आएगी ही। इसी पर सभी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का सामूहिक रूप समाप्त होना चाहिए। व्यक्तिगत धार्मिकता बनी रहे। परंतु यह बहुत सहज नहीं हैं। इसके लिए राष्ट्र के आम नागरिकों को निरंतर कुछ वर्ष राष्ट्रवादी सरकारों को ही सत्ता में लाते रहना होगा।

इसी तरह कुछ दूसरी चुनौतियां भी हैं जिनमें बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन भी देश को प्रगति के बजाय अवनति की ओर ले जाएंगे। जिससे बेरोजगारी, भुखमरी और अपराधजीवी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। अन्यान्य चुनौतियों में सुशासन भी एक गंभीर समस्या है पर वह स्वतः निर्मित है और इसका समाधान भी थोड़ा कठिन है किन्तु दृढ़ इच्छाशक्ति से इसे भी हल किया जा सकता है। पर यह हमारे राजनेताओं से सम्बद्ध है। क्योंकि हमारे स्थानीय नेता ही इस समस्या के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। क्योंकि वे ही समस्या को अधिक बढ़ाते हैं यदि नेताजी से फोन करने का अधिकार बलपूर्वक समाप्त कर दिया जाए तो आधी से अधिक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। क्योंकि वे अपने आदमियों के लिए फोन करते हैं तो दूसरों को तो हानि होती ही है।

इसी तरह सर्वाधिक बदनाम पुलिस विभाग है। जिसमें सबसे अधिक मनमानी चलती है। जांच अधिकारी काले को सफेद और सफेद को काला आसानी से कर देते हैं। फिर उसके बाद न्यायालय इस काले सफेद को खूब खींचता है। जिसमें कई बार तो वादी भगवान को भी प्यारा हो जाता है। पर न्यायालय की तराजू हिलती तक नहीं है। इसलिए आवश्यक है मुकदमों को निश्चित समय सीमा में सरकार मिटाने का कोई नियम अवश्य बनाएं ताकि देश के नागरिकों को अमृत महोत्सव में न्याय मिले और अमृत महोत्सव के आनंद की अनुभूति हो।

अन्य भी बहुत सी चुनौतियों का आप भी जीवन में निश्चित सामना करते हैं उन्हें भी आप इस तरह उठाएं जिनसे उनका समाधान हो सके। हम समस्या को बढ़ाने के बजाय उस को हल करने में सहभागी बनें तो हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बहुत ही सार्थक होगा और देश भी प्रगतिगामी बनेगा। इसलिए आओ हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को आनंद व उल्लास के साथ मनाते रहने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और देश के लिए कुछ करने का संकल्प भी लें।

(लेखक साहित्यकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

कांवड़ यात्रा सनातनधर्मियों की धार्मिक आस्था का प्रतीक

राम कुमार शर्मा

कांवड़ यात्रा का इतिहास : परशुराम जी पहले कांवड़िया थे और वो ही सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास 'पुरा महादेव' गए थे। उन्होंने गढमुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था, तबसे इस परम्परा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे। श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दौरान कांवड यात्रा भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है? आइये जानते हैं।

सावन का महीना भगवान शिव और उनके उपासकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को खुश करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं।

यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, और इन्हीं टोकरियों में गंगाजल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है।

पहले समय में लोग नंगे पैर या पैदल ही कांवड यात्रा करते थे। कई सौ किलोमीटर की यात्रा में पैरों में सूजन छाले पड़ने के उपरान्त भी कांवड़ियों का उत्साह, उमंग, भावना निरन्तर उनके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती थी। वर्तमान में लोग बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों से भी जाने लगे हैं।

सम्पूर्ण उत्तर भारत का कोना–कोना कांवड़ यात्रा के रंग में ऐसा रंग जाता है कि चारों ओर भोले ही भोले सड़कों, वाहनों और तीर्थ स्थलों (गोमुख, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर औघड़नाथ, आहार आदि) पर नजर आते हैं।

न कोई निमंत्रण न बुलावा न कोई पोस्टर, न मुनादी और न किसी का आह्वान, बिना किसी अपील और उकसावे के युवाओं, महिलाओं, वृद्धों एवं तरुणों का सैलाव स्वतः स्फूर्त होकर निकलता है। अनुमान है कि 4 करोड़ के आस–पास या इससे भी अधिक हो सकती है इस बार भोलों की संख्यां। कांधे पर कांवड उठाए गेरूआ वस्त्र पहने कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे नंगे पैर चलने वाले ये लोग देवाधिदेव शिव के समर्पित भक्त हैं। इनमें सब जातियों, सब सम्प्रदायों और सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता का इससे ज्यादा प्रामाणिक और पावन उदाहरण और क्या हो सकता है? हर–हर, बम–बम, बोल बम के साथ भोले बाबा की जय–जयकार करता यह जनसमूह स्वतः सावन का महीना प्रारम्भ होते ही ठाठें मारता चल पड़ता है। अगड़े–पिछड़े, छोटे–बड़े, ऊंच–नीच सब एकरस हो उठते हैं। सबकी एक ही जाति है,

ISSN No. 2581-3528

कांवड़िया, जो भी कांवड़ यात्रा का यात्री है वह इस भक्ति अभियान में सिर्फ कांवडिया है और कुछ नहीं।

वस्तुतः कांवड़िया शिव भक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करने के बहाने तीनों देव (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) की आराधना का फल पाना चाहता है।

"कांवड़ के ये घट दोनों, ब्रह्मा-विष्णु का रूप धरे।
बांस की लम्बी बल्ली में, रुद्र देव साकार भरे।।"

शिव की भक्ति की शक्ति कितनी अपार है यह पन्द्रह दिनों तक चलने वाली इस कांवड़ यात्रा के अपार उत्साह और संयम को देखकर पता चल जाता है। मुझे इस यात्रा में गरीबों की अधिक भागीदारी देखकर लगता है कि शिव भोले भंडारी हैं व सबका ध्यान रखते हैं, वे औघड़दानी है और उनकी भक्ति सबसे सस्ती है। बस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। दूर कहीं तीर्थधाम जाने की जरूरत नहीं। गंगाजल भरो और लाकर अपने निकट के किसी भी शिवालय में आदर श्रद्धापूर्वक अर्चन कर लो, बस हो गया बेड़ा पार।

शिव पर जल चढ़ाने की हमारी परंपरा बहुत पुरानी है। बहुत पीछेकी ओर निहारते चले तो निगाह देवासुर संग्राम पर आकर टिकती है। सागर मंथन की एक कथा के एक प्रसंग में कांवड के आगमन का ज्ञान होता है। कहते हैं कि सागर मंथन से निकले चौदह रत्नों में हलालल विष भी था। बाकी चीजों पर तो सुर–असुरों ने लेन–देन में सहमति कर ली, किन्तु हलाहल का क्या हो? अंततः यह देवों के हिस्से में आया। इसे कौन पिये कौन संभाले? तब भोलेशंकर ने इस हलाहल को अपने कंठ में रखा तो वह नीलकंठ कहलाने लगे। इस हलाहल को शांत करने हेतु सभी देवताओं ने गंगाजल शिव को चढ़ाया।

उज्जयनी में महाकाल को जल चढ़ाने से रोग निवृत्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। लाखों यात्री इस समय में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहां की विशेषता यह है कि हजारों की संख्या में सन्यासियों के माध्यम से टोलियां बनाकर कांवड़ यात्री चलते हैं। यह यात्रा लगभग 15 दिन तक चलती है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक सारे भारतवर्ष के शिव मन्दिरों में होता है। परन्तु श्रावण मास में कांवड के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्याधिक पुण्य प्राप्त होता है।

कांवड शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है, वह धन्य हो जाता है। कांवड का अर्थ है परात्पर शिव के साथ बिहार। अर्थात् ब्रह्म यानि परात्पर शिव, जो उनमें रमन करे वह कांवरिया।

कांवड़ के प्रकार –

1. **सामान्य कांवड़** - सामान्य कांवड़ के दौरान जहां चाहे रूककर आराम कर सकते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ स्टैण्ड पर रखी जाती है, जिससे कांवड़ जमीन से न छुए।

2. **डाक कांवड़िया** - कांवड़ यात्रा की शुरुआत से शिव जलाभिषेक तक चलते रहते हैं, बगैर रूके। शिवधाम तक की यात्रा एक निश्चित समय में तय करते हैं। यह समय लगभग 24 घंटे के आस–पास होता है। इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रियाएं तक वर्जित होती हैं।

3. **दांडी (लेटी) कांवड़** – ये भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दण्ड देते हुए पूरी करते हैं, मतलब कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लम्बाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यह बहुत मुश्किल होता है और इसमें एक महीने तक का वक्त लग जाता है। इस यात्रा में बिना नहाए कांवड यात्री कांवड़ को नहीं छूते। तेल, साबुन, कंघी की भी मनाही होती है। यात्रा में शामिल सभी एक दूसरे को भोला–भोली या बम कहकर ही बुलाते हैं।

4. **खड़ी कांवड़** - कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधों पर उनकी कांवड़ लेकर कांवड़ को चलने के अंदाज में हिलाते डुलाते रहते हैं।

(लेखक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, विद्याभारती)

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल
प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं
केशव संवाद को सोशल मीडिया
पर FOLLOW करें।
केशव संवाद
FACEBOOK
Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

द्रौपदी मुर्मू : सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता

प्रमोद भार्गव

हमारे संविधान के तीन आधारभूत सिद्धांत हैं, न्याय, समता और असंचय ! बावजूद इन 75 सालों में हम इन मूलभूत सिद्धांतों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे हैं। अतएव असमानता और वैध–अवैध धन संग्रह की प्रवृत्ति के चलते आर्थिक विषमता की खाई भी चौड़ी होती जा रही है। आधुनिक व औद्योगिक विकास और शहरीकरण ने इन विसंगतियों को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। पूंजीवादी इस विकास का यदि सबसे ज्यादा नुकसान किसी जाति समुदाय ने उठाया है तो वह अनुसूचित–जनजाति के दायरे में आने वाले समूचे देश में फैला आदिवासी समुदाय है। इस कथित विकास के नाम पर चार करोड़ आदिवासी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में यह सुखद व तसल्ली देने वाला संयोग है कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहली बार एक ठेठ देशज वनवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को सत्तारुढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने बिठाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिक पूर्तिभर होनी है। यदि कोई अनहोनी पेश नहीं आती है तो उनका राष्ट्रपति चुना जाना सुनिश्चित है, क्योंकि इस उम्मीदवारी के राजनीतिक निहितार्थ जो भी हों, अंततः देश में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश गया है। इस संदेश को आत्मसात करते हुए कई राजग विरोधी दल और सांसद आत्मा की आवाज पर भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे।

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से सामाजिक समरसता का वातावरण तो निर्मित होगा ही, देश के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी चेहरा भी सामने आएगा। इस बार के चुनाव की यही बड़ी विलक्षणता होगी। देश में करीब 13 करोड़ विभिन्न आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इसीलिए आजादी के वक्त से ही भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर इस समुदाय की जीवन शैलियों का प्रदर्शन दिल्ली के इंडिया गेट पर किया जाता है। क्योंकि भारत के इन्हीं मूल निवासियों के पास सांस्कृतिक विविधता और ज्ञान परंपराओं के वे मूल मंत्र हैं, जो भारत को सनातन वैदिक परंपराओं से जोड़ते हैं। सनातन हिंदुत्व में समाहित व समादृत मंत्रों की द्रौपदी मुर्मू एक निष्ठावान अनुयायी हैं। इसलिए उनका राष्ट्रपति बनना हाशिए के समाज को उत्थान और राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ना तो होगा ही, उन पश्चिमी व वामपंथी ताकतों को भी झटका लगेगा, जो इस समुदाय को हिंदू और हिंदुत्व से काटने की कुटिल चालें पिछली शताब्दी से ही चल रहे हैं।

द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राइरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर दो बार विधायक रहीं। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं।

राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उनके जो चित्र और चलचित्र सामने आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे सनातन संस्कृति में अपनी संपूर्ण निष्ठा रखती हैं। इसलिए वे भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में अपने गांव ऊपरबेड़ा में स्थित भगवान शिव के मंदिर में झाड़ू से सफाई करते और शिव के द्वारपाल नंदी के कान में मनौती मांगती देखी गईं। वरना एक समय ऐसा भी रहा है, जब देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि धर्मनिरपेक्षता के कथित भय से अपनी धार्मिक भावनाओं व पूजा–पाठ की दिनचर्या को छिपाने में अपनी भलाई मानते थे। किंतु द्रौपदी मुर्मू की यह निर्मल, निश्चल व निर्लिप्त आस्था ही है, जिसने पति और दो पुत्रों के असमय निधन के बाद भी उन्हें जीवन के प्रति आशावान बनाए रखा। संभवतः अनुष्ठान का यही विधि–विधान उन्हें ऐसी स्वस्फूर्त संजीवनी देता रहा, जिसने उनकी जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने को उत्साहित व प्रेरित किया।

जिस विधवा को समाज, विकृत परंपराओं के चलते समाज की मांगलिक भागीदारियों से वंचित कर देता है, उन वर्जनाओं को द्रौपदी मुर्मू ने रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी की तरह नकारा और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में कुरीतियों व कुप्रथाओं से जूझते हुए सामाजिक व राजनीतिक परिदृष्य बदलने में अपनी अहम् भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने ऊपरबेड़ा गांव में रहते हुए ही शालेय शिक्षा और फिर भुवनेश्वर के रमादेवी महाविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सरकारी शिक्षिका बन गईं। लेकिन जिसे सामाजिक चुनौतियों से संघर्षरत रहते हुए कुछ क्रांतिकारी बदलाव करना था, वह मामूली शिक्षक रहते हुए परिवर्तन का वाहक कैसे बनती? उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में पदार्पण कर इस व्यापक क्षेत्र की पहली सीढ़ी पार्षद के पद पर निर्वाचित हुई। हालांकि उन्हें राजनीति की शिक्षा अपने परिवार से ही मिली थी, उनके पिता और दादा भी गांव के प्रधान रहे थे। इसके बाद इस मेधावी महिला ने पलटकर नहीं देखा। वे रायरंगपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार 2000 में विधायक चुनी गईं और फिर 2004 में भी दोबारा चुनी गईं। मुर्मू बीजू जनता दल और भाजपा की गठबंधन सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन तथा मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास मंत्री भी रहीं। 2015 से

ISSN No. 2581-3528

2021 के दौरान भारत की पहली झारखंड राज्य की आदिवासी महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। जाहिर है, राजनीति के पहले पायदान पार्षद पद से शुरू हुआ उनका सियासी सफर विभिन्न सोपानों पर चढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन के द्वार तक पहुंच गया है।

उनकी यह यात्रा सामाजिक समरसता का आधार तो बनेगी ही, लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत करेगी। क्योंकि उन्हें एक मुखर सामाजिक– राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। अतएव जो लोग उन्हें जनजाति समुदाय के एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं, वे भूले हुए हैं कि अंततः वे संघ और भाजपा के उस अजेंडे को कारगर रूप देने में प्रयत्नशील दिखाई देंगी, जिससे आदिवासियों के सामुदायिक व धार्मिक हितों की तो प्रतिपूर्ति होगी ही, आदिवासियों को जनगणना पत्रक में जो अलग धर्म–समुदाय चिन्हित करने के लिए खाना निर्धारित करने की मांग उठ रही है, उस मांग पर भी अंकुश लगेगा। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आभासी परिचर्चा में कहा था कि 'भारत के आदिवासी हिंदू नहीं हैं। वो न पहले कभी हिंदू थे और न कभी हिंदू होंगे।' उन्होंने यह बात अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक वेबीनार में कही थी। झारखंड में 32 आदिवासी प्रजातियां हैं, जो अपनी भाषा, संस्कृति और रीति–रिवाजों को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ईसाई मिशनरियों से संघर्षरत हैं। वैसे तो इस बयान को मिशनरियों की कुटिल चाल बताते हुए विश्व हिंदू परिषद् के महासचिव मिलिंद परांडे ने आपत्ति जताई थी, अलबत्ता यह वेबीनार एक पश्चिमी विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित थी और हम जानते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पर न केवल मिशनरियों का प्रभाव है, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नियंत्रित भी करती हैं। चूंकि झारखंड और उड़ीसा की चर्चों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के बहाने सबसे ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक है, अपनी सनातन विरासत से जुड़ी महिला को धर्मांतरण बेचैन तो करता ही होगा ? संविधान में किसी भी प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण अवैध है।

संघ एवं भाजपा का लक्ष्य उन कानूनी लोचों को खत्म करना भी है, जिनके बूते आदिवासियों का धर्मांतरण आसान बना हुआ है। लोकसभा के पिछले सत्र में भाजपा के दो सांसद झारखंड के निशिकांत दुबे और मध्यप्रदेश के ढालसिंह बिसेन ने धर्मांतरण के इस मुद्दे को उठाते हुए मांग की थी कि 'दूसरा धर्म अपनाने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का चलन लगातार बढ़ रहा है।' दरअसल संविधान के अनुच्छेद–342 और 341 में धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रावधानों में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1956 में एक संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि इस जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकारता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किंतु यह विधेयक अब तक पारित नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिंदू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद–342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे झोलों को खत्म करने की संभावना बढ़ जाएगी ?

हालांकि आपातकाल के दौरान किए गए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के अधिकारों में कुछ कटौतियां की गई हैं। मंत्रिमंडल के सुझाव व प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति को बाध्यकारी बना दिया गया है। अतएव तय है आदिवासियों के हितों से संबंधित जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आएगा, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा। उन्हें लौटने का संशय कम रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुर्मू की उम्मीदवारी और फिर राष्ट्रपति बनने के उपरांत भाजपा अपने राजनीतिक लक्ष्य साधने का काम करेगी। लेकिन भाजपा के यह लक्ष्य ऐसे हैं, जो राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और हिंदुत्व की एकरूपता से जुड़े हैं। यही नहीं द्रौपदी मुर्मू का चयन लोकतांत्रिक भारतीय संविधान के उन सिद्धांतों को भी आकार देने वाला है, जिसके बूते अपनी योग्यता, प्रतिभा व कौशल दक्षता के बूते साधारण व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अधिकारी बन जाता है। रामनाथ कोविंद, लालबहादुर शास्त्री और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी प्रजातंत्र की इसी महिमा के उत्कृष्ट उदाहण हैं। यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक दलों के समर्थन की संख्या बढ़ती जा रही है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति को नष्ट करने का कुचक्र

प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति को नष्ट करने का कुचक्र चल रहा है। नागरिकों के अंदर नफरत, घृणा, असंतोष और संताप का भाव पैदा कर सिविल वार की स्थिति पैदा करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो भारत के सामने आकर युद्ध लड़ने में खुद को लाचार पाते हैं, वे समाज के दिग्भ्रमित लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर उनके अंदर जहर का बीज बो रहे हैं ताकि वे भारत में सिविल सोसायटी वार का प्रतिनिधित्व कर सकें। यह न केवल हमारी ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति पर चोट पहुंचाने की साजिश है बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), जम्मू कश्मीर, नुपुर शर्मा का बयान और अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरीके से नफरत की आग फैलाई गई, वह कहीं न कहीं यही संकेत करता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले ही चेता चुके हैं कि दुश्मन देश हमारे राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए परंपरागत युद्ध के बजाय नागरिक समाज को औजार बना सकते हैं। वे संवेदनशील मसलों पर नागरिक समाज में सेंध लगाकर अथवा उसे विकृत करके लोगों के बीच दरार चौड़ी कर राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न केवल हमें इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन एवं मंथन करना चाहिए बल्कि नीति नियंताओं को भी अधिक सतर्कता बरतते हुए अपनी रणनीति को बनाने की आवश्यकता है।

नागरिक समाज के दायरे में ऐक्टिविस्ट्स, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी, एनजीओ आदि शामिल हैं। सांप्रदायिक मामलों या दंगे अथवा कुछ अन्य राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुद्दों पर नागरिक समाज के माध्यम से प्रॉपेगेंडा अथवा एक अभियान चलाया जाता है। इस अभियान का लक्ष्य सीधे तौर पर लोगों के बीच बड़ी खाई पैदा करना होता है। हाल ही में हुए दंगों एवं आंदोलनों में बाहरी तत्वों के दखल के साक्ष्य भी मिले हैं। आज सोशल मीडिया को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्जी ज्ञान वाली वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर फेक खबरों से भरे ट्विटर तक सूचनाओं का इस्तेमाल विचारधारा, जाति, धर्म, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं जैसी चीजों के लिए खुलेआम किया जा रहा है। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। यहां तक कि बुद्धिजीवी एवं ऐक्टिविस्ट्स देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने बाने को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं।

ध्यातव्य है कि कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के पीछे मुख्य मकसद केवल चंद्रेश्वर हाता से हिंदुओं को भगाना नहीं था, यह एक इरादतन बड़ी साजिश थी। एसआइटी (विशेष जांच दल) ने हयात जफर एंड कंपनी के रिमांड के लिए अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उपद्रव के पीछे भारत को बदनाम करने की मंशा थी।

इसी तरह प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर में मिले एक पर्चे में दर्ज अपील से भी ऐसे ही संकेत मिले हैं। पर्चे में लिखा है– 'सुनो साथियो, 10 जून को जुमा के दिन अटाला पहुंचना होगा। वहां इकट्ठा होना है। जो भी अड़चन बनेगा, उस पर वार करना होगा। हमें

अदालत पर विश्वास नहीं है।' पुलिस ने यहां 59 आरोपितों का पोस्टर जारी कर पहचान शुरू की।

कानपुर से हिंसा की शुरुआत की वजह उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानपुर में मौजूदगी थी। उस दिन जुमे का दिन भी था। उपद्रवियों को पता था कि इस दिन हिंसा हुई तो विवादास्पद बयान का मामला तत्काल तूल पकड़ लेगा और भारत की बदनामी होगी।

उपद्रव की साजिश रचने वालों की यह योजना सफल भी हुई, क्योंकि 3 जून के बाद अचानक से यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि खाड़ी देशों के अलावा अलकायदा जैसा आतंकी संगठन भी विवाद में कूद पड़ा। इससे स्पष्ट है कि यह साजिश कानपुर से बाहर रची गई, जिसमें हयात जफर की बाजार बंदी के आह्वान को आगे रखकर अंजाम दिया गया।

3 जून और 10 जून की हिंसा के बाद देश विदेश में ऐसा माहौल बनने लगता है कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता के कारण माहौल अशांत हो गया है। इस पर कई देश के नेताओं की भारत के खिलाफ बयानबाजी भी आई है।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा के बाद पुलिस जांच में पता चला कि तीन दिन से युवाओं को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा था। इसके लिए यू–ट्यूब व वाट्सएप ग्रुप पर वीडियो भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश में तो पूरे सूबे में दंगे कराने का कुचक्र रचा गया था। इसका खुलासा सहारनपुर, प्रयागराज और कानपुर में पकड़े गए आरोपियों ने भी किया। आरोपियों ने बताया कि उन्हें वाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो का लिंक भेजा गया था जिसमें व्यक्ति जो खुद को मौलवी बता रहा था, वह युवाओं को वीडियो के जरिए भड़का रहा था। वीडियो देखने के बाद ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर बवाल किया था।

इसके पूर्व दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने पूर्व दिल्ली में 24 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में भड़के दंगों के बारे में कहा था कि दंगे दंगाइयों की सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। इन दंगों में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान चली गयी थी। अदालत ने कहा, 'गवाहों के बयानों और आरोप पत्र से प्रथम दृष्टया सामने आया कि 24 फरवरी को हुए दंगे आरोपियों की सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। इसमें एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गयी, कई पुलिस अधिकारी और आम लोग घायल हो गए तथा कई संपत्तियों को आग के हवाले कर तबाह कर दिया गया। उसने कहा कि उन्होंने दंगों को अंजाम देने, हत्या करने तथा अन्य कथित अपराधों के तरीकों का षड्यंत्र रचा और वे चांद बाग में समान मंशा तथा गैरकानूनी मकसद के साथ एक दूसरे के साथ साजिश रचते हुए गैरकानूनी तरीके से भीड़ को जमा करने में शामिल थे।

आज सोशल मीडिया को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फजह्न ज्ञान वाली वाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर फेक खबरों से भरे ट्विटर तक सूचनाओं का इस्तेमाल विचारधारा, जाति, धर्म, राजनीतिक प्रतिब)ताओं जैसी चीजों के लिए खुलेआम किया जा रहा है। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। यहां तक कि बुद्धिजीवी एवं ऐक्टिविस्ट्स देश में सामाजिक एवं सांस्कृति ताने बाने को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं।

यहां पर उल्लेखनीय है कि साम्राज्यवादी चीन की तीन तरह की युद्ध रणनीति रहती है। इसका इस्तेमाल वह वर्ष में दो बार करता है। पहला– साइकोलॉजिकल वॉर फेयर, दूसरा मीडिया वॉर फेयर और तीसरा–लीगल वॉर फेयर। इन तीनों प्रकार की लड़ाई में चीन टैंक, सैनिक और गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करता।

सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति के बाद युद्ध का दायरा असीमित हो चुका है। अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह आम जनता के घरों यानी समाज के मूल तक पहुंच चुका है। भारत विरोधी लोग देश के सामाजिक ताने–बाने को तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई एनजीओ एवं समूहों का गठन किया जाता है ताकि समाज में अभियान चलाकर भय और अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके।

मैं यहां पर आप का ध्यान विश्व के सबसे विवादित चेहरों में से एक–हंगरी में जन्मे अमेरिकी जॉर्ज सोरोस की ओर दिलाना चाहूंगा। कुछ लोग सोरोस को इतिहासपुरूष, फाइनेंसियल गुरु और एक सफल निवेशक, अरबपति के रूप में जानते हैं। वह बाजारों को प्रभावित व स्थानांतरित करने में सक्षम है। यही नहीं, वह राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सोरोस ने गैर सरकारी संगठनों के अपने नेटवर्क के माध्यम से बुद्धिजीवियों के एक वर्ग को विकसित किया है। ये वर्ग भारत खासकर राष्ट्रवादी सरकार का विरोध करने की दिशा में काम करते हैं। सीएए के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने देखा कि कैसे झूठ के आडंबर पर सामाजिक तानेबाने को झकझोरने की कोशिश की गई।

इसी तरह दिल्ली दंगों से पहले हर्ष मंदर का भाषण वायरल हुआ था। यह भी साबित हो चुका है कि अफजल गुरु को बचाने के लिए दया याचिका दायर करने वाले हर्ष मंदर के जॉर्ज सोरोस से गहरे रिश्ते रहे हैं। मंदर जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय अनुदान देने वाले नेटवर्क के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। दिल्ली में दंगों को भड़काने में उसकी भूमिका, विशेष रूप से दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर के आस–पास की हिंसा, जांच के दायरे में है। यही नहीं, शाहीन बाग के दौरान सबसे आगे रहने वाली संस्था कारवाने ए मोहत्बत भी हर्ष मंदर की है।

वास्तविकता तो यह है ये चंद उदाहरण हैं जो संकेत कर रहे हैं कि भारतीय समाज में जहर बोने और उसे अस्थिर करने का कुचक्र चल रहा है। इस कुचक्र को तोड़ना और रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार को इन षड़यंत्रों का पर्दाफाश तो करना ही होगा साथ ही ऐसे अभियानों से निबटने के लिए अधिक सशक्त और अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाना होगा ताकि भारत की सुरक्षा अक्षुण्य बनी रहे।

(लेखक आईएमएस, गाजियाबाद में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के चेयरपर्सन हैं)

ISSN No. 2581-3528

पावागढ़ का माता कालिका मन्दिर शक्तिपीठ

प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह

गुजरात में एक स्थान है पावागढ़। यह पर्वतों से आच्छादित है। किवदंतियों के अनुसार, पावागढ़ पर्वत की आयु लगभग 8 करोड़ साल है। यह पर्वत लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्राचीन काल में इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहां हवा का वेग भी हर तरफ बहुत ज्यादा रहता था, अर्थात् यह एक ऐसा स्थान था जहां पवन अर्थात् हवा का वास हमेशा एक जैसा हो इसीलिए इस स्थान को पावागढ़ कहा जाने लगा। 11वीं शताब्दी में हिन्दू राजाओं ने इसी पर्वत की चोटी पर एक विशाल महाकाली मन्दिर का निर्माण कराया था। यह एक शक्तिपीठ है जो हिन्दू देवी माता सती को समर्पित है। इसे माता कालिका मन्दिर, पावागढ़ का मन्दिर अथवा महाकाली मन्दिर आदि नामों से जाना जाता है।

गुजरात की प्राचीन राजधानी चांपानेर के पास वर्तमान पंचमहल जिले की हालोल तहसील से लगभग सात किलोमीटर दूर यह रमणीय पर्वत, जिसकी अंतिम चोटी पर लगभग 1525 फीट ऊंचाई पर जगत जननी मां कालिका का यह मन्दिर स्थित है, वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पावागढ़ पर्वत का प्रारंभ चांपानेर से होता है। लगभग 1471 फीट की ऊंचाई पर माची हवेली है। मन्दिर तक जाने के लिए माची हवेली से रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। फिर वहां से पैदल मन्दिर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में है। माना जाता है कि पावागढ़ में माँ के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।

पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद शिव को अपमानित करने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। अपने पिता के फैसले से आहत होकर सती ने अपने पिता से मिलने का फैसला किया और उन्हें आमंत्रित न करने का कारण पूछा। लेकिन उसके विपरीत दक्ष ने शिव का अपमान किया। अपने पति के खिलाफ कुछ भी सहन करने में असमर्थ, देवी सती खुद यज्ञ की आग में कूद गयीं और अपने प्राण दे दिए। जब शिव जी को अपनी पत्नी के निधन की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र ने दक्ष के महल में कहर ढाया और उनकी हत्या कर दी।

इस बीच अपनी प्रिय पत्नी सती की मृत्यु का शोक मनाते हुए, भगवान शिव ने माता सती के शरीर को कोमलता से पकड़ लिया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। व्यथित शिवशंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। ऐसे में भगवान विष्णु ने शंकर जी को शोक से मुक्त करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि किसी तरह भगवान शिव के कंधे को देवी सती के शव से मुक्त किया जाये ताकि वह देवी सती की मृत्यु के शोक से बाहर आ सकें। इस उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और ब्रह्मांड को बचाने और शिव की पवित्रता को वापस लाने के लिए, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के निर्जीव शरीर को 51

ISSN No. 2581-3528

टुकड़ों में काट दिया। जहाँ–जहाँ माता सती के अंग गिरे वे सभी 51 स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। चूँकि माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा इस स्थान पर गिरा था, अतः जगतजननी माताजी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावागढ हुआ, इसलिए यह स्थान बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है और इसी कारण से यहाँ देवी शक्ति को समर्पित शक्तिपीठ की स्थापना की गयी। पावागढ़ कालिका मन्दिर भारत की एक अनूठी आध्यात्मिक विरासत है जिसका उल्लेख यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहरों की सूची में किया गया है।

यहाँ की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है, जिसकी दक्षिण रीति अर्थात् तांत्रिक पूजा की जाती है। कालिका माता मन्दिर में काली यंत्र की पूजा की जाती है। मन्दिर प्रबंधन और वर्ष 1961 में प्रकाशित आर. के. त्रिवेदी की पुस्तक 'गुजरात के मेले और त्यौहार' के अनुसार, देवी कालिका माता की पूजा का प्रारंभ स्थानीय लेवा पाटीदार और राजा अथवा सरदार 'सदाशिव पटेल' द्वारा किया गया था। पावागढ़ की कालिका माता की आदिवासी भी पूजा करते हैं। इस मन्दिर का वर्णन 15वीं शताब्दी के नाटक 'गंगादास प्रताप विलासा नाटकम' में भी किया गया है। देवी काली के सम्मान को समर्पित इस मन्दिर को काली माता का निवास माना जाता है और उन्हें दुर्गा या चंडी के रूप में भी स्थानीय निवासियों द्वारा पूजा जाता है।

ऐसी भी मान्यता है कि पावागढ़ माता का मंदिर भगवान श्रीराम के समय का है। राम के पुत्र लव और कुश समेत कई ऋषि मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। किसी समय में इस मंदिर को शत्रुंजय मंदिर के नाम से जाना जाता था यानी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला मंदिर कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर ऋषि विश्वामित्र ने माता काली की कठोर तपस्या की थी। अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए महर्षि विश्वामित्र इसी पर्वत पर तपस्या करने के लिए आये थे। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने ही पावागढ़ पर्वत पर मां काली के मन्दिर की स्थापना की और उनके चरणों में बैठकर वर्षों तक तंत्र–मन्त्र सिद्धि में लगे रहे रहे, काली माँ की मूर्ति को ऋषि विश्वामित्र ने ही यहां पर प्रतिष्ठित किया था। महर्षि विश्वामित्र इस धाम में तपस्या करने के लिए वर्षों तक पावागढ़ पर्वत पर कुटिया बना कर रहे। इसीलिए यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर 'विश्वामित्री' किया गया है।

वास्तुकला सरंचना के परिप्रेक्ष्य में यह कालिका माता मन्दिर बहुत ही अद्भुत है। इस मन्दिर का परिसर दो भागों में विभाजित है। पहला परिसर जो भूतल है हिन्दू मन्दिरों से युक्त है। इस मन्दिर के गर्भ गृह में लाल रंग में रंगी कालिका माता की मूर्ति स्थापित है। भूतल पर मुख्य मन्दिर में तीन दिव्य चित्र हैं, जिनमें से केन्द्र में कालिका माता (एक सिर के रूप में चित्रित, जिसे मुखवातो और लाल रंग के रूप में जाना जाता है) हैं, जबकि महाकाली उनके दायीं ओर स्थित है और उनके बायीं ओर बाहुचर माता स्थित हैं। माना जाता है कि यहां प्रयुक्त हुआ पुनर्स्थापित संगमरमर का फर्श 1850 के दशक का है और इसे काठियावाड़ में लिम्बडी के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मन्दिर महान पवित्र शक्ति पीठों में से एक है।

पावागढ़ पर्वत का प्रारंभ चांपानेर से होता है। लगभग 1471 फीट की ऊंचाई पर माची हवेली है। मन्दिर तक जाने के लिए माची हवेली से रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। फिर वहां से पैदल मन्दिर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में है। माना जाता है कि पावागढ़ में माँ के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।

इस मन्दिर का दूसरा भाग जो मन्दिर का शिखर है और जिसे मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा सन् 1472 में खंडित कर दिया गया था एक मुस्लिम धर्मस्थल सूफी सदन शाह पीर का मकबरा है। सन् 1472 में जब गुजरात के छठे सुलतान मुस्लिम आक्रान्ता महमूद बेगड़ा की कुदृष्टि पावागढ़ कालिका मन्दिर पर पड़ी तो उसने मन्दिर तोड़कर यहां इस्लामिक ढांचा तैयार करने का आदेश दिया। इस प्रकार आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महमूद बेगड़ा ने इस पावन प्राचीन शक्तिपीठ हिन्दू मन्दिर को नष्ट कर दिया था। पावागढ़ कालिका मन्दिर को तोड़कर उसने मन्दिर के शिखर पर इस्लामिक गुंबद बनाकर उसे सदनशाह दरगाह नाम दिया था। यही सदनशाह दरगाह कालिका माता के गुंबददार मन्दिर के शिखर में स्थित है। महमूद बेगड़ा की मृत्यु के पश्चात 15वीं शताब्दी में मन्दिर का पुनर्निर्माण हुआ था लेकिन अब तक मन्दिर के उस शिखर को सदनशाह दरगाह के नाम से ही जाना जाता था।

जिस 11वीं शताब्दी के मन्दिर के शिखर को लगभग 500 साल पहले मुस्लिम आक्रान्ता महमूद बेगड़ा द्वारा नष्ट कर दिया था, तथा 15वीं शताब्दी के बाद हिन्दुओं के आस्था स्थल, इस प्राचीन शक्तिपीठ मन्दिर के शिखर पर धर्म ध्वजा नहीं फहरायी जा सकी थी, उस धार्मिक स्थल माता कालिका मन्दिर के शिखर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के शासनकाल में इस मन्दिर के पुनर्विकास के अंतर्गत 18 जून 2022 को 500 से भी अधिक वर्षों के उपरांत माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा धर्म ध्वजा को फहराया गया है। धर्म ध्वजा को फहराते समय माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि आज सदियों बाद पावागढ़ मन्दिर में एक बार फिर से मन्दिर के शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। यह शिखरध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। यह शिखरध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव फिर से स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ–साथ अपनी प्राचीन पहचान को भी जी रहा है, उन पर गर्व कर रहा है।

(लेखक सरकार द्वारा 'शिक्षकश्री' विभूषित ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, प्रोफेसर एवं राष्ट्रवादी चिन्तक हैं)

ISSN No. 2581-3528

आधी रात का शंखनाद

अमित शर्मा

14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि। घड़ी के कांटे जैसे ही 12 पर जाकर मिले, एक दिन का समापन हो गया। मगर यह सिर्फ एक दिन का समापन नहीं था। यह गुलामी की कई सदियों का अंत था। साथ ही यह प्रारंभ था एक नए युग का। भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी थी। हवाओं में आजादी की महक घुलने लगी थी। अब भारत आजाद था।

भारत में नए दिन का स्वागत शंखनाद से करने की परंपरा रही है। मगर उस रात जैसे ही घड़ी ने 12 टंकारें दी, आधी रात को शंखनाद गूंज उठा। आजादी की इस गूंज को दुनिया भर में सुनाने के लिए संविधान–सभा भवन में शंखनाद किया गया। इस शंखनाद के साथ ही भारत भूमि पर अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो चुका था। अपनी पुरातन संस्कृति को खुद में समेटे एक नया देश दुनिया के नक्शे पर अवतरित हो चुका था। ये हमारा भारतवर्ष था।

लेकिन भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उदयीमान सूर्य की नवीन किरणों से ही नए दिन का प्रादुर्भाव माना जाता है। हर नयी शुरुआत दिन के प्रकाश में ही करने की परंपरा रही है। ऐसे में आखिर आजादी हमें आधी रात को क्यों मिली? भारतवर्ष के नवीन अवतरण के लिए सुबह तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? सारे कार्यक्रम आधी रात को ही क्यों निर्धारित किए गए ? इन सवालों के जवाब बड़े ही रोचक हैं।

वो 24 मार्च 1947 का दिन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतिम वायसराय बनकर भारत में इंग्लैंड के सम्राट के प्रतिनिधि के रुप में सत्ता संभाली थी। लेकिन भारत आने वाले दूसरे वायसराय की तरह उनको भारत पर राज नहीं करना था। उनको भारत भेजने का उद्देश्य दूसरा था। वो उद्देश्य था भारत में सत्ता–हस्तांतरण।

दरअसल बदलती वैश्विक स्थितियों में अब साम्राज्यकारी ताकतों का टिका रहना मुश्किल था। दुनिया भर में लोकतांत्रिक शक्तियां उभार पर थी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा चुकी थी। उसने युद्ध जीत लिया था लेकिन इस विजय ने इंग्लैंड के उद्योग–धंधों को चौपट कर दिया था। इंग्लैंड में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लोगों पर बेरोजगारी की जबरदस्त मार पड़ी थी। सरकारी खजाना खाली हो चुका था। हिटलर को हराने वाला इंग्लैंड अपनी आर्थिक स्थिति के आगे घुटने टेकता दिख रहा था। वो एक ऐसा साम्राज्य रहा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी डूबता नहीं था। लेकिन अब एक नवीन, प्रखर और स्वतंत्र सूर्य भारत भूमि पर उगने को तैयार था।

इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी थी। इंग्लैंड में अब लेबर पार्टी की सरकार थी। किलमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। भारत को स्वतंत्रता देने के सख्त विरोधी विंस्टन चर्चिल विपक्ष में बैठे थे। लेबर पार्टी की सत्ता आते ही उसने ऐलान कर दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को समेटने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। इस ऐलान का साफ मतलब था कि हिमालय से लेकर हिन्द महासागर तक फैले घनी आबादी वाले भू–भाग इंडिया से इंग्लैंड अब अपना नियंत्रण हटा लेगा। बदलती आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अब इतनी विशाल आबादी पर शासन करना उसके लिए संभव नहीं रह गया था। लेकिन सत्ता–हस्तांतरण की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। भारत में जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग पर अड़ी थी। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का एलान किया था। उसका उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना था कि पाकिस्तान की मांग को लेकर वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उस दिन भयानक दंगे भड़क उठे थे। सिर्फ कलकत्ता में करीब 6 हजार लोग इन दंगों में मारे गए। इसके बाद हिंसा का दौर आगे भी जारी रहा। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड का मानना था कि भारत में सत्ता–हस्तांतरण की प्रक्रिया एक संवेदनशील मामला है। इसीलिए इस दुरुह कार्य की जिम्मेदारी एटली ने शाही राजपरिवार से जुड़े लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी। वो मूलतः एक सैनिक थे। दक्षिण–पूर्व एशिया के सुप्रीम एलायड कमांडर के पद पर कार्य कर चुके थे। भारतीय भूभाग की राजनीतिक परिस्थितियों की अच्छी समझ रखते थे। राजनीतिक रणनीतिकार के रुप में भी उनकी अच्छी पहचान थी।

लार्ड माउंटबेटन को वायसराय के रुप में लार्ड वैवेल की जगह लेनी थी। वैवेल ने सत्ता–हस्तांतरण की जो योजना बनायी थी, वो बिल्कुल सीधी थी। एक–एक कर अंग्रेज भारत के प्रांतों को छोड़ना शुरु कर दें। पहले औरतें, बच्चें और असैनिक अंग्रेज निकल जाएं और सबसे अंत में सैनिक। वैवेल खुद जानते थे कि ये प्रस्ताव भारत को भयंकर गृह–युद्ध में झोंक सकता है। इसीलिए इसका नाम उन्होंने ऑपरेशन मैड हाउस रखा था। वैवेल भारतीय नेताओं से वैसा संवाद भी कायम नहीं कर पाए थे। इसीलिए सत्ता–हस्तांतरण की प्रक्रिया के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए इंग्लैंड सरकार ने लार्ड माउंटबेटन पर भरोसा जताया था।

लार्ड माउंटबेटन अच्छे रणनीतिकार जरुर थे, लेकिन वो अंग्रेज पहले थे। उनकी एक जिम्मेदारी ये भी थी कि नये बनने वाले स्वतंत्र राष्ट्र को कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के संस्थान में शामिल होने के लिए राजी करवा लिया जाए। कॉमनवेल्थ नेशंस की धुरी इंग्लैंड के हाथ में थी। इस तरह वो साम्राज्य छोड़कर भी अपना रुतबा कुछ–कुछ बचाए रख सकता था।

लार्ड माउंटबेटन जब भारत पहुंचे तो उन्हें पता था कि उन्हें महीनों का कार्य हफ्तों में करना है। वो यूं भी अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने में यकीन रखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न नेताओं से संवाद स्थापित करने और उनमें सामंजस्य बिठाने का दुरुह कार्य पूरा किया। उन्होंने भारत–विभाजन का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का धार्मिक आबादी के अनुसार निर्माण होना था। साथ ही राजा–महाराजाओं को इन दो राष्ट्रों में किसी एक राष्ट्र में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गयी थी। लार्ड माउंटबेटन की खासियत रही कि उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेताओं को इस प्रस्ताव के लिए राजी कर लिया। गांधी जी इस विभाजन के विरोध में थे लेकिन उनके ही शिष्यों ने उनकी नहीं सुनी और वो भी इस मसले पर दुखी मन से शांत हो गए। तत्कालीन परिस्थितियों ने भले ही इतिहास की धारा दूसरी दिशा में मोड़ दी हो लेकिन इतिहास साक्षी है कि भारत–विभाजन के समय भड़की हिंसा मानव–समाज की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक

ISSN No. 2581-3528

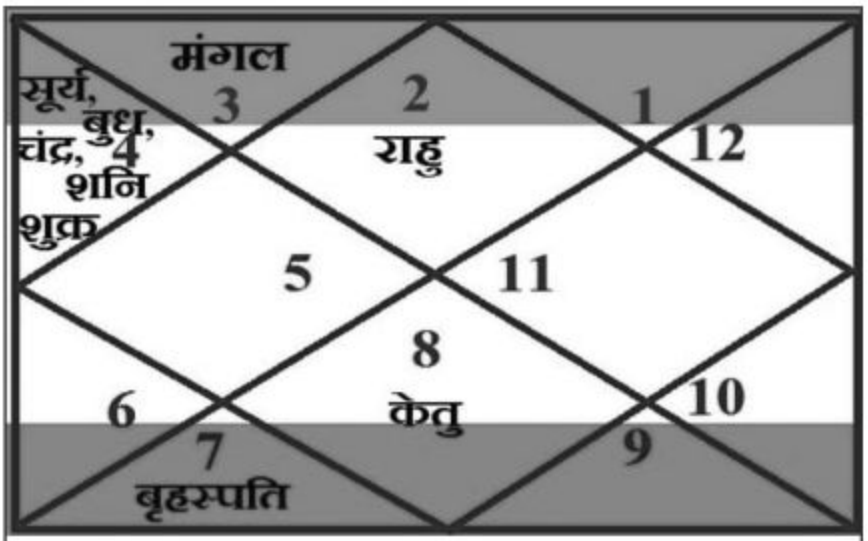

स्वतंत्र भारत की कुंडली

रही। तत्कालीन परिस्थितियों के साथ इन परिस्थितियों के निर्माण में सहायक बनने वाले नेता भी इस जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा सकते।

लॉर्ड माउंटबेटन को पता था कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सत्ता–हस्तांतरण को लंबे समय तक टाला जा सके। हिंसा भड़क उठने की आशंका बहुत ज्यादा थी। हालांकि अंग्रेजों ने पहले जून 1948 तक भारत छोड़ने की योजना बनायी थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस कार्य को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहते थे।

मसौदे पर सबकी स्वीकृति लेने के बाद उन्होंने जून 1947 के पहले हफ्ते में एक प्रेस–वार्ता की। इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य में यह मात्र दूसरा अवसर था जब किसी वायसराय ने प्रेस–वार्ता का आयोजन किया था। वायसराय के सुंदर कक्ष में सारे पत्रकार आमंत्रित थे। देश–दुनिया के तीन सौ से ज्यादा पत्रकार इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद थे। लार्ड माउंटबेटन विस्तार से सारी योजना की जानकारी दे रहे थे। पूरी परिस्थिति पर उनके नियंत्रण का गर्व उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। लगभग दो महीने की छोटी अवधि में ही उन्होंने वो कर दिखाया था जो दूसरे नहीं कर पाए थे। योजना के मसौदे की जानकारी देने के बाद वायसराय ने पत्रकारों को सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। सवाल पर सवाल पूछे जाने लगे। हर सवाल का जवाब माउंटबेटन के पास मौजूद था। ऐसे में एक भारतीय पत्रकार का छोटा–सा सवाल उन तक पहुंचा। सवाल था – "प्रशासनिक शक्तियों के हस्तांतरण की कोई निश्चित तारीख आपने तय की है?" लॉर्ड माउंटबेटन कुछ क्षण के लिए ठहरे। ऐसी कोई तारीख उन्होंने अभी निश्चित नहीं की थी। लेकिन उनके मुंह से जवाब निकला– "बेशक, तारीख तय कर दी गई है।" माउंटबेटन जिस व्यक्तित्व के स्वामी थे, वो हरगिज ये नहीं दिखाना चाहते थे कि कोई छोटी सी बात भी उनके नियंत्रण से बाहर है। माउंटबेटन का दिमाग तेजी से चलने लगा। सितंबर की कोई तारीख बताना सही रहेगा। या फिर अगस्त की तारीख दी जाए। उनकी अपनी जिन्दगी में मायने रखने वाली कई तारीखें उनके जेहन में घूमने लगीं। कुछ देर में तारीखों के आँकड़ें अचानक शांत हो गए। एक तारीख उनके दिमाग में स्थिर हो गयी। ये तारीख थी – 15 अगस्त। इस दिन उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय मिली थी। ऐसी विजय जो अगर नहीं मिलती तो शायद वो इस प्रेस–कांफ्रेंस को करने के लिए जिन्दा ही नहीं होते। दो साल पहले बर्मा के जंगलों में मूसलाधार बारिश के बीच लड़ते हुए उनकी कमांड ने जापानियों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। जमीन की लड़ाई में जापान को इतनी करारी हार पहले कभी नहीं मिली थी। जापान सरकार ने बिना शर्त समर्पण किया था। माउंटबेटन को ये निश्चित करने में जरा भी देर नहीं लगी कि 15 अगस्त को ही भारत की आजादी का दिन बना दिया जाए। वायसराय ने कहा – भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया जाएगा।

लॉर्ड माउंटबेटन की इस घोषणा से सारे आश्चर्यचकित रह गए। किसी को लेशमात्र भी अंदाजा नहीं था कि माउंटबेटन इस तरह भारत की आजादी की तारीख तय कर देंगे। हर तरफ खलबली मच गयी। मगर सबसे ज्यादा बौखलाहट जिन लोगों में फैली – वो थे भारत के ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष विद्या का प्रभाव भारतीय जनमानस में ऐसा बैठा था कि इसका असर छोटे–बड़े सब पर था। माउंटबेटन ने जैसे ही तारीख की घोषणा की सभी प्रमुख ज्योतिषियों ने पोथी–पत्रे निकाल लिए। जटिल गणनाएं की गयीं। काशी–उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत के नगरों तक ज्योतिषी अपनी गणना में लग गए। इसके बाद सभी प्रमुख ज्योतिषियों ने एक साथ घोषणा की। 15 अगस्त 1947 का दिन एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए शुभ नहीं है। कई प्रमुख नेता भी इन पर अटूट विश्वास करते थे। सबने वायसराय पर तारीख बदलने का दबाव डाला। लेकिन वायसराय लार्ड माउंटबेटन अपने फैसले से टलने वालों में से नहीं थे। आखिर एक रास्ता निकाला गया। 14 अगस्त की स्थिति 15 अगस्त से काफी बेहतर थी। इस वक्त लग्न में वृष राशि पड़ रही थी जिसे स्थिरता के लिए अत्यंत शुभ माना गया। साथ ही उस वक्त भारत की कुंडली में शनि योगकारक बनकर लोकतंत्र की सफलता के लिए अच्छा योग बना रहा था। हालांकि पराक्रम स्थान में पांच ग्रहों की युति और कालसर्प योग के प्रभाव की वजह से कुंडली में कुछ दिक्कतें भी थी। लेकिन लग्न बदल जाने से भारत की स्थिरता और शांति पर खतरे की आशंका थी। ऐसे में तत्कालीन परिस्थियों में इसे ही सर्वश्रेष्ठ कुंडली माना गया।

भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार नए दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है। लेकिन अंग्रेजी कायदे से रात के 12 बजे ही कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। ऐसे में वायसराय इस सुझाव पर तुरंत राजी हो गए कि भारत को आजादी आधिकारिक रुप से 14–15 अगस्त की मध्य रात्रि में दी जाए। ज्योतिषियों के आग्रह की वजह से लार्ड माउंटबेटन को झुकना पड़ा। बढ़ते दबाव में बीच का रास्ता निकल जाने से उन्होंने राहत की सांस ली। साथ ही उन्होंने तत्काल अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले ज्योतिषीय सलाह अवश्य ले ली जाए।

(लेखक महाराजा अग्रसेन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इंद्रप्रस्थ विवि., दिल्ली में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

ISSN No. 2581-3528

जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष

डॉ. प्रशान्त त्रिपाठी

युवा दिवस मनाने का मतलब है, एक दिन युवकों के नाम। इस दिन पूरे विश्व में युवा पीढ़ी के संदर्भ में चर्चा होगी उसके ह्रास और विकास पर चिंतन होगा, उसकी समस्याओं पर विचार होगा और ऐसे रास्ते खोजे जायेंगे, जिससे इस पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दिया जा सके। युवा क्रांति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, इस क्रांति एवं ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक हो, युवा शक्ति किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है जो देश और समाज को नए शिखर पर ले जाती है। युवा देश का वर्तमान हैं, तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। युवा गहन ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं, उनकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी स्वप्न होते हैं। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। किसी भी देश की शक्ति का अंदाज़ा उसके युवाओं की संख्या पर निर्भर करता है, दूसरे शब्दों मे कहें तो युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं।

इसी ध्येय से सारी दुनिया प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती है। सन् 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरम्भ किया गया था। यह दिवस मनाने का मतलब है कि युवा शक्ति का उपयोग विध्वंस में न होकर निर्माण में हो। पूरी दुनिया की सरकारें युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करें, न केवल सरकारें बल्कि आम–जनजीवन में भी युवकों की स्थिति, उनके सपने, उनका जीवन लक्ष्य आदि पर चर्चाएं हों। युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मूलभूत बातों को लेकर यह दिवस मनाया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के नवनिर्माण के लिये मात्र सौ युवकों की अपेक्षा की थी। क्योंकि वे जानते थे कि युवा 'दुरदर्शी' होते हैं और उनका लक्ष्य दूरगामी एवं बुनियादी होता है। उनमें नव–निर्माण करने की क्षमता होती है।

युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य हैं। वो देश की नींव हैं, जिस पर देश की प्रगति और विकास निर्भर करता है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, जहाँ नौजवान की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है तो कहीं वृहद बेरोजगारी जैसे हालात हैं। इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत एवं आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत एवं चुनौती है। युवा सपनों को आकार

देने का अर्थ है सम्पूर्ण मानव जाति के उन्नत भविष्य का निर्माण। यह सच है कि हर दिन के साथ जीवन की एक नई राह खुलती है, नए अस्तित्व नए अर्थ की शुरूआत के साथ, नयी जीवन दिशाओं के साथ हर नई आंख देखती है इस संसार को अपनी ताजगी भरी नजरों से। इनमें जो सपने उगते हैं इन्हीं में नये समाज की नवीन नींव रखी जाती है।

यौवन को प्राप्त करना जीवन का सौभाग्य है। जीने की तीन अवस्थाएं बचपन, यौवन एवं बुढ़ापा हैं, सभी युवावस्था के दौर से गुजरते हैं, लेकिन जिनमें युवकत्व नहीं होता, उनका यौवन व्यर्थ है। उनके निस्तेज चेहरे, चेतना–शून्य उच्छ्वास एवं निराश सोच मात्र ही उस यौवन की साक्षी बनते हैं, जिसके कारण न तो वे अपने लिये कुछ कर पाते हैं और न समाज एवं राष्ट्र को ही कुछ दे पाते हैं। वे इतना निष्क्रिय जीवन जीते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं एवं महत्वाकांक्षाओं में उलझ कर अपने ध्येय को विस्मृत कर देते हैं। उनका यौवन कार्यकारी तो होता ही नहीं, खतरनाक प्रमाणित हो जाता है। युवाशक्ति जितनी विराट और उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी है। इस परिप्रेक्ष्य में युवाशक्ति का रचनात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग करने की जरूरत है।

देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यह पंक्ति हमने अनेक बार विभिन्न मंचों से सुनी होगी। चाहे वह मंच राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो या फिर धार्मिक। यह कहकर उद्‌बोधनकर्ता लोगों को इसी बात का अहसास कराना चाहते हैं कि जैसी देश की युवा पीढ़ी होगी, वैसा ही देश का भविष्य होगा। इसलिए युवा पीढ़ी का सर्वतोमुखी विकास हर प्रकार से आवश्यक है। ताकि यह पीढ़ी सक्षम होने पर सकारात्मक सोच के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान कर सके। देश के अधिकांश युवाओं की प्रेरणा के स्त्रोत कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने भी युवा पीढ़ी को राष्ट्र के उन्नयन में महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने तो अपने उद्‌बोधन में सर्वगुण संपन्न युवाओं के जरिए देश की काया तक पलट देने की बात कही थी। तो ऐसी युवा पीढ़ी, जिसे हर कोई देश का भविष्य कहता है और देश के विकास में उपयोगी मानता है, वह कितनी जागरूक है देश की समस्याओं के प्रति और देश के विकास तथा समाज के लिए उसकी सोच क्या है?

प्रगति के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझें युवा अपने कॅरियर की प्रगति पर ध्यान देने के साथ–साथ आज के युवा को यह भी समझना होगा कि उन्हें समाज को भी कुछ लौटाना है। मेरा मानना है कि यदि हम अपना कार्य ईमानदारी और सजगता से करते हैं तो समाज निर्माण में ही सहायता कर रहे हैं। वर्तमान में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे समाज जूझ रहा है। उनमें से कुछ छोटे–छोटे ऐसे काम हैं, यदि हम चाहें तो ठीक हो सकते हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से युवा बेशक समय न निकाल पाएं, लेकिन वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति तो जागरूक रह ही सकते हैं। जगह–जगह गंदगी के ढेर, टूटी सड़कें, गंदा पानी आदि सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता रेखांकित करते हैं, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका हो सकती है। वह किसी भी प्रकार की सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर, नहीं तो उसके लिए विभिन्न

ISSN No. 2581-3528

साधन जुटाने में सहायता कर सकते हैं। आज के युवा बेस्ट बनने की लालसा में वेस्ट का अनुकरण न करके, यदि अपने अभिभावकों द्वारा संजोए हुए मूल्यों का अनुकरण करते हैं तो वह अवश्य ही देश की तरक्की में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं।

गौरवशाली इतिहास को न भूले युवा भारत आज प्रगति तो कर रहा है,लेकिन आज के युवा को भारत की प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई जाए तो उसे विश्वास ही नहीं होता। युवा अपना विश्वास खो रहा है और हर समस्या के समाधान के लिए पाश्चात्य संस्कृति का सहारा ले रहा है। मुझे लगता है कि इससे भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि आज की सामाजिक, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए हो सकता है कि पाश्चात्य संस्कृति कुछ समय के लिए समाधान कर दे, लेकिन वही समाधान एक अंतराल के बाद जटिल समस्या बन जाती है। भारत की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचानना चाहिए और उस पर विश्वास करके समाज को संगठित करने का काम अपने हाथ में लेकर भारत को न केवल विकसित, बल्कि विश्वगुरु बनाना चाहिए। हमारे सामने दो विकसित राष्ट्र–जापान और चीन हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपनी सभ्यता को नहीं भुलाया और आज वे विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। अपने देश में 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा हैं। अर्थात् हमारे देश में अथाह श्रमशक्ति उपलब्ध है। आवश्यकता है आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्ग दर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदार बनाने की, उनमे अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा एवं प्रोद्यौगिक विशेषज्ञ बनाने की, उन्हें बुरी आदतों जैसे– नशा, जुआ, हिंसा इत्यादि से बचाने की। क्योंकि चरित्र निर्माण ही देश की, समाज की, उन्नति के लिए परम आवश्यक है। दुश्चरित्र युवा न तो अपना भला कर सकता है, न समाज का और न ही अपने देश का। देश के निर्माण के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए युवा वर्ग को ही मेधावी, श्रमशील, देश भक्त और समाज सेवा की भावना से ओत प्रोत होना होगा।

आज के युवा वर्ग को अपने विद्यार्थी जीवन में अध्ययनशील, संयमी, चरित्र निर्माण के लिए आत्मानुशासन लाकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के प्रयास करने चाहिए। जिसके लिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। विद्यालय को मस्ती की पाठशाला समझ कर समय गंवाने वाले युवा स्वयं अपने साथ अन्याय करते हैं, जिसकी भारी कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है। बिना शिक्षा के कोई भी युवा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम रहता है। चाहे उसके पास अपने पूर्वजों का बना बनाया, स्थापित कारोबार ही क्यों न हो। या वह किसी राजनयिक या प्रशासनिक अधिकारी की संतान ही क्यों न हो। इसी प्रकार बिना शिक्षा के जीवन में कोई भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई युवा अपने विद्यार्थी जीवन के समय का सदुपयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो मनोरंजन, मस्ती और ऐश के लिए पूरे जीवन में भरपूर अवसर मिलते हैं। वर्तमान समय में युवा विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात् प्रोद्यौगिकी से सम्बंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। जो देश की उन्नति में योगदान देने के साथ–साथ रोजगार की असीम संभावनाएं दिलाती है।

महात्मा गाँधी से एक बार पूछा गया कि उनके मन की आश्वस्ति और निराशा का आधार क्या है? गांधीजी बोले– 'इस देश की मिट्टी में अध्यात्म के कण हैं, यह मेरे लिये सबसे बड़ा आश्वासन है। पर इस देश की युवा पीढ़ी के मन में करुणा का स्रोत सूख रहा है, यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है।' गांधीजी की यह चिन्ता सार्थक थी। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी होती है। यह जितनी जागरूक, तेजस्वी, प्रकाशवान, चरित्रनिष्ठ और सक्षम होगी, भविष्य उतना ही समुज्ज्वल और गतिशील होगा।

युवापीढ़ी के सामने दो रास्ते हैं– एक रास्ता है निर्माण का दूसरा रास्ता है ध्वंस का। जहां तक ध्वंस का प्रश्न है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। अनपढ़, अशिक्षित और अक्षम युवा भी ध्वंस कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो ध्वंस क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया है। उपेक्षित, आहत, प्रताड़ित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति खुले रूप में ध्वंस के मैदान में उतर जाता है। उसके लिए न योजना बनाने की जरूरत है और न सामग्री जुटाने की। युवा पीढ़ी से समाज और देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। शरीर पर जितने रोम होते हैं, उनसे भी अधिक उम्मीदें इस पीढ़ी से की जा सकती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए युवकों की इच्छाशक्ति एवं संकल्पशक्ति का जागरण करना होगा। घनीभूत इच्छाशक्ति एवं मजबूत संकल्पशक्ति से रास्ते के सारे अवरोध दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।

मूल प्रश्न है कि क्या हमारे आज के नौजवान भारत को एक सक्षम देश बनाने का स्वप्न देखते हैं? या कि हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी केवल उपभोक्तावादी संस्कृति से जन्मी आत्मकेन्द्रित पीढ़ी है? दोनों में से सच क्या है? दरअसल हमारी युवा पीढ़ी महज स्वप्नजीवी पीढ़ी नहीं है, वह रोज यथार्थ से जूझती है, उसके सामने भ्रष्टाचार, आरक्षण का बिगड़ता स्वरूप, महंगी होती जाती शिक्षा, कैरियर की चुनौती और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को कुचलने की राजनीति विसंगतियां जैसी तमाम विषमताओं और अवरोधों की ढेरों समस्याएं भी हैं। उनके पास कोरे स्वप्न ही नहीं, बल्कि आंखों में किरकिराता सच भी है। इन जटिल स्थितियों से लौहा लेने की ताकत युवक में ही हैं। क्योंकि युवक शब्द क्रांति का प्रतीक है।

युवा दिवस मनाने का मतलब है– एक दिन युवकों के नाम। इस दिन पूरे विश्व में युवा पीढ़ी के संदर्भ में चर्चा होगी, उसके ह्रास और विकास पर चिंतन होगा, उसकी समस्याओं पर विचार होगा और ऐसे रास्ते खोजे जायेंगे, जो इस पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दे सकें। इसका सबसे पहला लाभ तो यही है कि संसार भर में एक वातावरण बन रहा है युवा पीढ़ी को अधिक सक्षम और तेजस्वी बनाने के लिए। युवकों से संबंधित संस्थाओं को सचेत और सावधान करना होगा और कोई ऐसा सकारात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहे। विशेषतः राजनीति में युवकों की सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा।

अंततः हमें इस युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना होगा। कहते हैं कि युवा वायु के वायु पुरवाई के रूप में धीरे–धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है। हमें इस पुरवाई का उपयोग विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा। यदि हम युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग करेंगे तो विश्व गुरु ही नहीं, अपितु विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में स्थापित हो सकेंगे। किसी शायर ने कहा है– 'युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है।' हमें इन भावों को साकार करते हुए अंधेरे को कोसने की बजाय 'अप्प दीपो भवः' की अवधारणा के आधार की परंपरा का शुभारंभ करना होगा ।

लेखक (अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली) एवं राष्ट्रीय उप-सचिव ह्यूमन राईट एसोसिएशन ऑफ इंडिया)

ISSN No. 2581-3528

साक्षात्कार

जिम्मेदार न्यायपालिका ?

न्यायालय वो अंतिम दरवाजा होता है जहां सिस्टम से जूझता कोई भी नागरिक न्याय की आस लिए जाता है और सुनवाई की उम्मीद में कुंडी खटखटाता है । भारत के संविधान में समाज में व्यवस्था और कानून लागू करवाने के लिए न्यायपालिका सर्वोपरि है मगर उस कानून को बनाने और समय के साथ बदलाव करने का अधिकार सिर्फ विधिपालिका के पास है, हाँ उस कानून की व्याख्यान की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास जरूर है। इन्टरप्रिटेशन यानि कानून का व्याख्यान कितना भेद-भाव रहित हो और जो बिना किसी प्रभाव के हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया गया हो इसको लेकर के कोर्ट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है । अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितनी जिम्मेदार है हमारी कोर्ट ? हाल ही के दिनों में कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिससे विश्वसनीयता कटघरे में थी। न्याय के मामले में कितनी जिम्मेदार है हमारी न्यायपालिका इसी विषय पर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.एन.ढींगरा से हमारी विशेष चर्चा हुई। चर्चा के कुछ बिन्दु निम्नवत हैं -

अनीता चौधरी

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ बयानों को देखते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी जिम्मेदार है हमारी न्यायपालिका ?

न्यायालय किसी भी नागरिक के लिए न्याय पाने का एकमात्र साधन है, चाहे सरकार के विरुद्ध न्याय चाहिए, या समाज से, या खुद अपराध में फंसा हुआ हो, या शिकायतकर्ता हो, वो इस आस के साथ न्यायालय जाता है कि इंसाफ की इस देवी के चौखट पर उसे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि इस देश की न्यायालय ने आम जनता को बुरी तरह निराश किया है। जो बहुमूल्य समय उन्हे आम जनता के मामलों में देना चाहिए वो ज्यादातर समय शक्तिशाली, प्रभावशाली और मीडिया चालित केसों में देने में विश्वास रखते हैं। मीडिया और प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर न्यायालय उस नब्बे प्रतिशत जनता को भूल जाते हैं जो उनके यहाँ न्याय मांगने आते है। उनका विशेष ध्यान उस दस प्रतिशत जनता की तरफ होता है जो कोर्ट में न्याय के लिए नही बल्कि अपने तुष्टीकरण के लिए जाते हैं। ये तुष्टीकरण राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के हो सकते हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देना आज कल न्यायालय की आदत बन गई है लेकिन आम मामलों में जहां जनता 20-20 साल इंतजार करती रह जाती है न्यायालयों को वहाँ यह नहीं सूझता कि ये भी लोग हैं जो अपनी याचिका लेकर आए हैं, इनकी तरफ ध्यान देना भी हमारा काम है। मुझे नहीं पता कि कब इस देश की ज्युडिशरी ये महसूस करेगी कि उनका अस्तित्व ही इस देश की आम जनता से है। आज न्यायालयों का अस्तित्व आम जनता के लिए नहीं रह गया है, वो या तो प्रभावशाली वकीलों के लिए है, या राजनीतिज्ञों के लिए है, या फिर धनी व्यक्तियों के लिए है। आज न्यायालय का प्रयोग दूसरे पार्टी को परेशान करने के लिए जितना होता है उतना न्याय मांगने के लिए नहीं होता है.. न्यायालय का चरित्र आज बदल चुका है और इसके लिए खुद न्यायालय जिम्मेदार है। न्यायालय और न्यायपालिका में आज आत्ममंथन और आत्मसुधार की बहुत जरूरत है।

क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोर्ट आज राजनीति या मीडिया से प्रभावित हैं और ऐसे में चर्चाओं में रहने के लिए कोर्ट निर्णय में कम और सुर्खियों में ज्यादा ध्यान देते हैं ?

किसी भी पढे-लिखे व्यक्ति के लिए पोलिटिकल इन्क्लनेशन होना स्वाभाविक बात है। अगर उनके राजनीतिक विचार नहीं होंगे तो इसका मतलब वो इस देश से अंदर से नही जुड़ा हुआ है, वो समाज और देश से कट कर रह रहा है। ऐसे में न्यायाधीश भी इस देश की जनता और राजनेता से कट कर नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि हर न्यायाधीश की कोई न कोई पॉलिटिकल इन्क्लनेशन जरूर होगी। लेकिन जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वो अपने झुकाव और लगाव, अपनी विचारधारा, अपना सामंतवाद सभी को घर छोड़ कर आए और न्याय की कुर्सी पर बैठने के साथ ही सबसे पहले अपने ऊपर विजय पाए। जब तक खुद पर विजय पा कर अपने विचारों पर काबू नही पाता, तब तक वो न्यायाधीश नहीं बन सकता। सच्चा न्यायधीश बनने के लिए जरूरी है कि उसके लिए संविधान और कानून सर्वोपरि हो, उसकी अपनी विचारधारा का कोई महत्व नही होता है, ना ही उसे ये महत्व देना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि ज्यादातर न्यायाधीश अपने आप से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जब तक वो स्वयं से ऊपर उठ कर अपनी विचारधारा को घर में बंद कर के नहीं आते तब तक वो न्याय नही कर सकते और यही नूपुर शर्मा के केस में हुआ, न्यायाधीश अपनी आंतरिक विचारधारा से उपर नहीं उठ पाए और अपनी राजनीतिक विचारधारा में बह कर..जो केस उनके पास था उसे भूल गए और नुपूर के केस में एक लंबा मौखिक राजनीतिक भाषण दे बैठे.. ..जो इनके न्यायिक ऑर्डर का हिस्सा नहीं था। अगर ये उनके ऑर्डर का हिस्सा होता तब भी बात समझ में आती...लेकिन न्याय की कुर्सी पर राजनीतिक भाषण नही दे सकते हैं जज साहब।

जज की नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी निष्पक्ष नही हो पाई है। आपको क्या लगता है कौन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, कॉलोनियल परंपरा पर आधारित हमारा संविधान या, नियुक्ति के लिए बनाया गया कौलेजियम सिस्टम?

देखिए हम सिस्टम को दोष दें, ऐक्ट को दोष दें, किसी भी चीज को दोष दें, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। कोई भी सिस्टम व्यक्ति से जाना जाता है। जैसे एक प्रिंसिपल के बदलने से पूरे स्कूल की रूपरेखा बदल जाती है और स्कूल और बच्चे दोनों का काया कल्प हो जाता है। ज्युडशरी को भी काया कल्प की जरूरत है। कानून और संविधान भारत के बिल्कुल सही हैं। संविधान और कानून दोनों कहते हैं कि सभी बराबर हैं।

ISSN No. 2581-3528

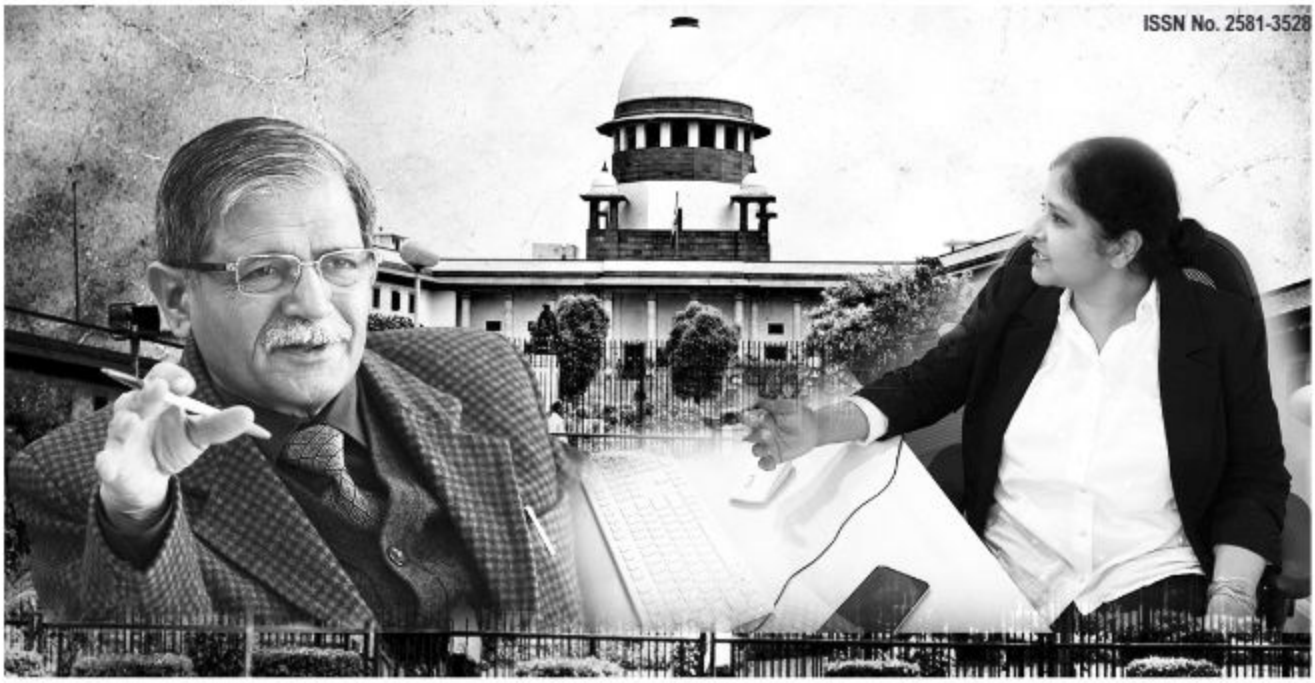

अगर न्यायालय सभी को बराबर तरीके से देखे तो इस देश का काया कल्प हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्यायाधीशों पर है। लेकिन हमारे देश में गरीबों की सुनवाई नहीं है। लेकिन न्यायालय पर मोटी रकम लेने वाले वकीलों का कब्जा है और वो जब चाहे केस को लटका सकते हैं और जब चाहे रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं। परन्तु आम आदमी इस इंतजार में होता है कि कब न्यायालय हमें बताएगी कि हम दोषी हैं या बेकसूर।

लेकिन ये सिस्टम कैसे बदलेगा क्योंकि ज्यूडिशरी परिवारवाद से ग्रसित है, और कुछ लोगों का कब्जा है .. जुडीशियरी पर लंबे समय से 10 से 12 परिवारों का कब्जा है, हमारी न्यायिक नियुक्ति और प्रक्रिया परिवारवाद से ग्रस्त हैं?

जब तक जनता से सरोकार रखने वाले जजों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। लेकिन हो ये रहा है कि कुछ लोगों ने इसे अपना सिस्टम बना दिया है कि ये तो हमारा साम्राज्य है, हम इसे अपने हाथ से नही जाने देंगे। ये जो साम्राज्यवादी प्रवृति न्यायाधीशों में है उसे सिर्फ संसद तोड़ सकती है। लेकिन संसद जब उनके लिए कानून बनाती है तो ये मानने से इंकार करते हैं। ऐसे में संसद जब तक इतनी मजबूत नहीं होगी कि उनको बोल सके कि ये कानून बनाया गया है और इसे आपको भी मानना है, आप कानून और संविधान से ऊपर नहीं हैं। आप राजा की तरह व्यवहार नही कर सकते। मैं ये आशा करता हूँ कि एक दिन इस देश की संसद इतनी सशक्त होगी इतनी स्ट्रॉंग होगी जो बताएगी कि आप अपने चेंबर्स और परिवारों से चुन–चुन कर वकील नहीं ला सकते जिन्हें हम जज बनाएंगे। महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ के कारण न्यायधीश, राजनेता एवं राज्य ज्यूडिशीयल सिलेक्शन सिस्टम नहीं लागू होने दे रहे हैं। आज जजों की नियुक्ति अपने पसंद की हो रही है ताकि समय आने पर ये कानूनी रूप से मदद कर सकें। 1993 में जब कॉलेजियम बना तो 4–5 साल तक लोग चुप रहे कि सिस्टम को थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन वहाँ बंदर बाँट शुरू हो गई। अच्छे वकीलों को जज नियुक्त नहीं किया जाता है और बोला जाता है कि अच्छे वकील जज नहीं बनना चाहते हैं। वो जज इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें जजों को मैनेज करना है। जजों की नियुक्ति का प्रावधान बदलना चाहिए। नियम हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। यह सही नहीं कि किसी के लिए 12 बजे कोर्ट खुले और कोई वर्षों तक जेल में बैठ कर फैसले का इंतजार करे।

क्या ये बंदरबाँट और झुकाव, जजमेंट को प्रभावित करती है? क्या यही चीज नूपुर शर्मा के मामले में हुई? आखिर अंतरात्मा का उल्लेख करते हुए फैसला क्यों किया गया? क्या संविधान में अंतरात्मा का प्रावधान है ?

बिल्कुल नही, संविधान सभी के लिए एक है। ये राजनीतिक अंतरात्मा है जो फैसले पर हावी हुई और जब राजनीतिक अंतरात्मा आप पर हावी हो जाए तो न्याय नही होता है। इस तरह के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को एक ही कोर्ट में तलब किया है। यहाँ कोर्ट संविधान को कम और राजनीति का ज्यादा अनुसरण कर रही थी।

क्या आपको लगता है कि नूपुर शर्मा के मामले में कोर्ट ने अपरोक्ष रूप से उदयपुर के अपराधियों को क्लीन चिट दे दी और सारा ठीकरा नूपुर के सर फोड़ दिया ?

कानून में लिखित ऑर्डर को ही मान्य माना जाता है। जुबानी जमा खर्च का कोई मतलब नहीं है। कानून कहता है कि जब तक खास मंशा के अन्तर्गत प्लानिंग के साथ धार्मिक भावना को नहीं आहत किया जाए तब तक कोई दोषी है। नुपूर शर्मा मामले में नूपुर एक टीवी डिबेट में बैठी हुई थी, और दूसरों के साथ सवाल जवाब कर रही थी, वो किसी मंशा के साथ नही बैठी थी कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है और उसने जो तथ्य कहे वो सर्वमान्य है जो कुरान और हदीस में लिखी बातें हैं लेकिन उन माननीय न्यायाधीशों ने न तो कानून को ध्यान में रक्खा और न ही हदीस और कुरान को पढ़ा। उन्होंने एक राजनीतिक भाषण दे डाला जिसका ऑर्डर कॉपी में कोई उल्लेख नहीं है।

नूपुर शर्मा को जान से मारने की खुलेआम धमकियाँ मिल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान इस बात पर नहीं लेना चाहिए? नूपुर की जान की जिम्मेदारी अब किसकी ?

सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतः संज्ञान लेने की आदत है वो गलत है। आखिर इतने सारे कोर्ट क्यों बने हैं जिसे मुश्किल है वो संबंधित कोर्ट में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनमर्जी वाले स्वतः संज्ञान लेकर अपनी गरिमा गिरा दी है। नूपुर की जान की जिम्मेदारी अब राज्य की है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए और राज्य सरकार को उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए।

ISSN No. 2581-3528

स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत का उदय

डॉ. आनंद मधुकर

राज्य का निर्माण चार तत्वों – निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता – से मिलकर होता है। इनमें से यदि एक भी तत्व कम है तो वह राज्य नहीं कहलाता। लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत एक बार पुनः उक्त तत्वों को धारण कर राज्य बना। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य कहलाया जिसने समाजवाद को अपनाया। संविधान के अनुसार भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी गई और जनता की इच्छा, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु राज्य व सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका तय हुई।

मानव संसाधन किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण पूंजी होती है। मानव संसाधन के योग से ही समाज का निर्माण होता है। समाज की सामाजिक, भौतिक, नैतिक और राजनैतिक स्थिति से देश की स्थिति तय होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय समाज अनेक जातियों, उपजातियों व संप्रदायों में विभाजित था। इनमें से प्रत्येक की अपनी–अपनी मान्यताएं, नियम और एक दूसरे से भिन्नताएं थीं। ऐसी सामाजिक परिस्थिति में देश का विकास करने के लिए आवश्यक था कि सम्पूर्ण समाज का विकास हो।

व्यक्ति के योग को समाज कहते हैं। अतः समाज व व्यक्ति का विकास भिन्न नहीं है। देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने से समाज व देश स्वयं ही विकसित होता जाता है। अतः 1947 में आवश्यकता थी कि देश के सभी नागरिक शिक्षित हों, स्वस्थ हों, आत्मनिर्भर हों। राज्य नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो। समाज में समरसता हो और सरकार की नीतियां भेदभाव रहित हों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर सके। समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार की असमानता से अपराध का जन्म हो सकता है इसीलिए उत्पादन और वितरण भेदभाव रहित हो।

परंतु 1947 से 2014 तक भारत की असीमित संभावनाओं के बावजूद लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका। सरकारी योजनाओं का जमीन पर प्रभाव उस प्रकार परिलक्षित नहीं हुआ जैसा कि अपेक्षित था। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के अनेक उदहारण भी देखने को मिले। जब सरकारों और राजनीतिक दलों का उद्देश्य लोककल्याण के स्थान पर सत्ता प्राप्त करना हो जाए तो जनहित के कार्यों का प्रवाह व मानक बदल जाते हैं। यही कारण था कि 1975 में आपातकाल का दंश भी देश को झेलना पड़ा।

फिर 2014 और पुनः 2019 में देश में लोकसभा के चुनावों व परिणामों के माध्यम से जनता ने एक बड़ा अद्भुत और अकल्पनीय निर्णय देकर मा. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील और राष्ट्रवादी सरकार बनाई। लोकतंत्र में नारों का बहुत महत्व होता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा "सबका साथ, सबका विकास" का नारा दिया गया था। तब से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जनता के विश्वास को पूरा करने का भरपूर प्रयास हुआ है। जब आज देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है तो यही नारा "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब का प्रयास" के रूप में सार्थक हो रहा है।

पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा जनकल्याण की अनेक नीतियां व योजनाएं

ISSN No. 2581-3528

बनाकर और उन्हें प्रभावी रूप से लागू कर समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाई गई हैं। विकास योजनाओं में ऊपरी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। पहले की सरकारों से पूर्णतः भिन्न अब विकास सीधे व्यक्ति के द्वार पर पहुंचा है। इससे समाज में व्याप्त असमानता कम हुई है। व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य हो रहा है। लोगों व जनता की सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तीन तलाक आदि पर कानून बनाकर लागू किए गए हैं। इस संदर्भ में कुछ योजनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे – जन धन योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर शौचालय, स्वरोजगार योजना, ई–श्रमिक कार्ड इत्यादि। उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक वर्ग की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर उसकी भारत के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाये। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी सरकार की उपलब्धि रही कि 1 वर्ष में कोरोना की वैक्सीन, वह भी एक नहीं कई–कई बनाकर, भारत जैसे सघन व विशाल जनसंख्या वाले देश में लगभग प्रत्येक नागरिक को लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इतना ही नहीं, यह सरकार की संवेदनशीलता ही थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे इसलिए इस काल में प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई।

हमको यह समझना होगा कि ये अनेक योजनाएं केवल लाभार्थी की सूची मात्र नहीं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से समाज में एक ऐसे वंचित वर्ग को, जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति सम्मिलित हैं और जिनको पूर्व में अपना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, सीधे उनके पास उनका अधिकार पहुंचाया गया है। इस वर्ग के लोगों को पहले कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि देश के संसाधनों पर उनका भी अधिकार है। आज इन योजनाओं से वंचित वर्ग को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है और साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

कल्पना कीजिए कि जिन घरों में पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उन घरों की

बहनें और माताएं शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करती थीं। आज इन बहनों–माताओं को सरकार की संवेदनशीलता के कारण सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने स्वयं सड़क किनारे कितनी महिलाओं को लकड़ियां काटते बीनते देखा है। बबूल की लकड़ियों को काटते समय हाथों से निकलते रक्त को भी देखा है। बरसात में गीली लकड़ियों से भोजन पकाने में निकलते हुए धुएं को भी देखा है। आज उज्जवला गैस पर खाना पकाने से महिलाओं को समय की बचत हुई और धुएं से छुटकारा मिला है। अब माताएं सम्मान के साथ खाना पकाती हैं।

आयुष्मान कार्ड से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपना इलाज बिना कर्ज लिये करवाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से समाज के वंचित वर्ग को अपना घर प्राप्त हुआ है और आज वह परिवार स्वाभिमान से अपने पक्के घर में रहता है। सभी घरों को बिजली और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। स्वरोजगार हेतु सरकारी प्रयासों से बड़ी संख्या में व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए ई श्रमिक कार्ड से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को कई लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जैसे – दुर्घटना बीमा, भविष्य में पेंशन, स्किल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता, महंगे इलाज / बच्चों की पढ़ाई / गृह निर्माण के लिये आर्थिक सहायता इत्यादि।

वस्तुतः पिछले 8 वर्षों में हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त समाजवाद को सही अर्थों में नीचे तक उतारने का ईमानदार प्रयास हुआ है। साथ ही, सरकार की जवाबदेही और सक्रियता के कारण एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर व सशक्त भारतीय समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्तमान सरकार की सबका साथ सबका विकास अर्थात भेदभाव रहित, संवेदनशील और सुरक्षा पूर्ण विकास नीतियों के कारण लोगों का सरकार की नीतियों पर विश्वास बढ़ा है तथा उनका आत्मविश्वास व आत्मसम्मान जागृत हुआ है। उन्हें महसूस हो रहा है कि देश हमारा भी है, देश में कुछ स्थान हमारा भी है और इस देश के संसाधनों में हमारी भी भागीदारी है। परिणाम स्वरूप देश एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ चला है जो आशा और आकांक्षाओं से भरा हुआ है और जिसके मनोबल में भारी वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि जब व्यक्ति अथवा समाज को स्वाभिमान एवं सुरक्षा से जीने का अवसर प्राप्त होता है तो व्यक्ति में देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जागृत होता है। इस बदलते सामाजिक स्वरूप का उदाहरण अभी हाल में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणामों में देखा जा सकता है। इस चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बढ़–चढ़कर ध्रुवीकरण के प्रयास हुए परंतु समाज ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उदाहरण पेश करते हुए राष्ट्रवादी विचार को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया। निश्चय ही, 21वीं सदी का भारत सशक्त, स्वाभिमानी, स्वस्थ व आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व में महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

(लेखक आई.आई.टी. दिल्ली में प्रिंसिपल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं)

ISSN No. 2581-3528

पुस्तक समीक्षा- अनकही कथा

स्वाधीनता संग्राम में पश्चिम उत्तर प्रदेश का योगदान

डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की वह स्थिति है जिसमें वह अपने राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक निर्णय स्वयं ले सकता है। लोकमान्य तिलक के शब्दों में, 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', अर्थात स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। प्रकृति ने मनुष्य को नैसर्गिक रूप से स्वतंत्र ही पैदा किया है। जन्म के समय उसका कोई पहनावा, राजनैतिक विचार (समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद आदि), वर्ग, मजहब आदि नहीं होता। परंतु जन्मते ही दुनियावी ताकतें आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण द्वारा हमारी स्वतंत्रता का क्षरण कर स्वयं की इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने लगती हैं। न केवल मनुष्य वरन सरकारें, लुटेरे एवं आक्रान्ता भी दूसरे देशों की स्वतंत्रता का हनन करते रहे हैं। भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता के कारण मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, मुग़ल एवं अंग्रेज आक्रांता हजारों वर्ष तक पुण्यभूमि भारत पर बलपूर्वक तंत्र थोपने का प्रयास करते रहे। भारतीय समाज अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए लगातार आक्रान्ताओं का प्रतिकार करता रहा। अंग्रेजी राज के विरुद्ध प्रतिकार का यह सिलसिला लगभग 190 वर्ष (1757–1947) तक चलता रहा। आज नई पीढी को भारतीय विचारों एवं जीवन मूल्यों से विमुख करने की सुपारी लिए उन सुपारी–विचारकों के षड्यंत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो हमारे पूर्वजों को असभ्य, जंगली, अनपढ, विवेकशून्य, अवैज्ञानिक एवं जीवन–दृष्टि रहित बता हम भारतीयों को सभ्य बनाने का श्रेय मुग़ल एवं अंग्रेज आक्रान्ताओं को देते रहे हैं। विदेशी गुलामी को भारत की हर अच्छाई का उदगम बताने वाले ये सुपारी–विचारक यह समझाते हैं कि भारत के अस्तित्व एवं विकास के लिए गुलामी आवश्यक थी जिसके लिए हमें मुगलों एवं अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। सुपारी–विचारक यह ज्ञान देते नहीं थकते कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, परंतु ब्रिटिश गज़ट के अनुसार ही 1757–1857 के दौरान हुए छोटे–बड़े 38 युद्ध। भारतीयों के मन–मस्तिष्क में हीन भावना का अंकुरण करने के उद्देश्य से पूरे भारत को गुलाम बताने वाले यह सत्य नहीं बताते कि पूरा भारत कभी भी और किसी भी आक्रांता का गुलाम नहीं रहा। वो इस सत्य को छुपा कर

रखते हैं कि बाप्पा रावल ने विदेशी आक्रान्ताओं को अफगानिस्तान की सीमाओं से आगे तक खदेड़ा जिसके फलस्वरूप उन्हें सिंध से दिल्ली तक के 500 मील तय करने में 500 वर्ष से अधिक लगे। आज बाप्पा रावल, रावल खुमाण, राणा हमीर, राणा कुम्भा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, मावले, गुरु तेगबहादुर, बंदाबहादुर, गुरूगोविंद सिंह, रानी दुर्गवाती, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनित वीरों के योगदान को विस्मृत करने पर आमादा सुपारी–विचारकों के झूँठ को विस्थापित कर प्रामाणिक सच को स्थापित करने की चुनौती है।

डॉक्टर प्रदीप कुमार (संपादक) एवं सतीश शर्मा (सहयोगी संपादक) द्वारा संपादित एवं अखंड पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा हाल में प्रकाशित दस अध्यायों वाली पुस्तक 'अनकही कथा' राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता आंदोलन में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद एवं धामपुर के योगदान के अनेकों अनछुए एवं अनकहे पहलुओं को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करती है। पुस्तक वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खाँ द्वारा अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना एवं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के महत्व को रेखांकित करती है। आर्य समाज द्वारा जाति–प्रथा, छुआछूत एवं पर्दा प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाकर वैदिक सिद्धांतों की स्थापना, नारी जागरण एवं स्वदेशी जैसे विचारों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास का जिक्र किया गया है। सिपाही मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में 29–मार्च 1857 को अँग्रेज अफसर पर चलाई गोली से आरंभ हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लपटें 6–मई 1857 को मेरठ छावनी पहुँच गईं जहां 90 में से 85 भारतीय सिपाहियों ने गाय एवं सूअर की चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से साफ इंकार कर दिया। उनको 10–10 साल की सजा दिये जाने से भड़के मेरठ के सिपाहियों एवं नागरिकों नें जेल के फाटक तोड़कर सिपाहियों को आजाद करा लिया और सेना के कमांडेंट कर्नल फिनिस सहित कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के बाद दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जाफ़र को सम्राट घोषित कर दिया। 10–मई को इस विद्रोह की लपटें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, रुड़की, बिजनौर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और दिल्ली के आस–पास के इलाकों में फैल गईं। मुजफ्फरनगर जिले में अंग्रेजों में व्याप्त क्रांतिकारियों के भय का आलम यह था कि जिलाधिकारी को कार्यालय छोड़ गाँव में शरण लेनी पड़ी और अंग्रेज परिवारों को अपने बंगले छोड़ तहसील भवन में शरण लेनी पड़ी। 29–मई को जिलाधिकारी बर्डफोर्ड को मौत के घाट उतारने के बाद क्रांति की ज्वाला शामली, कैराना, काँधला, थानाभवन, जानसठ, मीरापुर,

ISSN No. 2581-3528

पुरकाजी एवं सिसोली तक पहुँच गई। भारी संख्या में पहुंची अंग्रेजी सेना ने क्रांति को कुचलने के लिए अनेकों महिलाओं सहित लगभग 132 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। क्रांति की व्यापकता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि न केवल शहर बल्कि गाँव भी, न केवल जवान अपितु किसान भी, न केवल पुरुष अपितु स्त्री भी, न केवल वयस्क अपितु बच्चे एवं बुजुर्ग भी इसमें शामिल हो फिरंगियों को देश से भगाकर गुलामी के चिन्हों को नेस्तनाबूत करना चाहते थे। इस संघर्ष में जहां क्रांतिकारियों के पास भारतमाता की खातिर मर–मिटने के जज्बे के अलावा हथियारों के नाम पर केवल लाठी, डंडे और गंडासे थे, वहीं अंग्रेज सेना तोप एवं अन्य स्वचालित हथियारों से लैस थी। अंग्रेज सेना क्रांतिकारियों को आतंकित कर मनोबल तोड़ने के लिए गाँव के गाँव जलाने, क्रांतिकारियों को बंदी बना यातना देने, तोपों के मुंह से बांधकर क्रांतिकारियों की हत्या करने, समूह में फांसी देने जैसे घिनोंने कुकृत्य कर रही थी। इस क्रांति में ग्रामीण, सिपाही, सरकारी कर्मचारी और पुलिस के शामिल होने के आधार पर पुस्तक में इसे सही ही जनक्रान्ति कहा गया है।

वर्ष 1920 से लेकर 1942 तक के आंदोलनों में बिजनौर जनपद की सक्रिय भूमिका का जिक्र करते हुए पुस्तक में धामपुर, चाँदपुर, नजीबाबाद, नूरपुर एवं अफजलगढ़ में क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस को नाकों चने चबाने का वर्णन किया गया है। यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध धारा 144 के उल्लंघन, सरकारी मुनादी करने वालों के ढोल फोड़ने, गर्भवती महिलाओं का आंदोलन मे शामिल हो जेल में प्रसव होने और सिपाहियों की बंदूकें नालियों में फेंकने के रूप में सामने आया। 16 अगस्त 1942 को नूरपुर थाने पर तिरंगा फैलाने की कोशिश करते परवीन सिंह एवं रिखी सिंह बेरहम अंग्रेजों की गोलियां से शहीद हो आज भी क्षेत्र के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। स्वाधीनता संग्राम में मुरादाबाद एवं रामपुर के योगदान का जिक्र करने के साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित अनेकों स्थानों जैसे गांधी समाधि, रामपुर का किला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, पंजाब नगर मंदिर, शाहबाद का किला, श्री बामेश्वर महादेव मंदिर, पटालेश्वर मंदिर आदि के दुर्लभ चित्र दिए गए हैं। पुस्तक में बुलंदशहर के काला आम जिससे लटकाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने वाले क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, तथा गुलावठी के बड़ा महादेव मंदिर जहां 12 सितंबर 1930 को 9 क्रांतिकारियों ने शहादत दी, का मर्मस्पर्शी उल्लेख है। गाज़ियाबाद के बसने का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जिला गजटियर के अनुसार इसकी स्थापना गजीउद्दीन खान द्वारा वर्ष 1740 में गजीउद्दीन नगर बसाने से हुई। यही गजीउद्दीन नगर कालांतर में गाज़ियाबाद हो गया। संपादकों ने अपना तर्क देते हुए इसके वर्ष 1714 के लगभग बसने की बात कही है। बताया गया है कि दिल्ली के सुल्तान शाहआलम ने अपने तीन मुख्य सिपहसालरों फरखसियार, मिर्जा मोहम्मद मुराद गाजी एवं गजीउद्दीन खान को लगान वसूलने के लिए दिल्ली से मोदीनगर तक का क्षेत्र दे रखा था। इन्होंने ही क्रमशः फरूखनगर, मुरादनगर एवं गाजियाबाद स्थापित किए। गाजियाबाद में पहले से ही शेरशाह द्वारा निर्मित एक सराय थी जिसमें 120 कमरे, दो बड़े भवन, मस्जिद, कुआं, तथा बड़ा शाही गेट बने थे। गजीउद्दीन द्वारा नजदीकी दूधेश्वर मंदिर की जमीन को घेरने का प्रयास कैला निवासियों एवं नागा बाबाओं द्वारा विफल किए जाने का वर्णन भी पुस्तक में किया गया है। पुस्तक में गाजियाबाद के समीपवर्ती स्थानों जैसे लोनी, राणप, माकनपुर, कैला, करहेड, मुरादनगर, फरूखनगर, निवाड़ी, शमशेर, मोदीनगर, डासना, देहरा, मसूरी, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर आदि के बसने, नामकरण, ऐतिहासिक महत्व तथा उनकी विभिन्न पहचानों का मनोरंजक वर्णन किया गया है।

पुस्तक में स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिमी उत्तर–प्रदेश के योगदान को वर्तमान पीढ़ी के सामने रखने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है चूंकि अंग्रेजी राज की आँखों देखी और अपबीती बताने वाली पीढ़ी लगभग समाप्ति की ओर है। अतः स्वाधीनता संघर्ष के यथार्थ को प्रामाणिक रूप से नई पीढ़ी के सम्मुख रखना न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य है। पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानियों, उनके योगदान, गावों/कस्बों/शहरों, वंशावलियों आदि का विस्तृत वर्णन शामिल है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनेकों प्रतीक चिन्हों के चित्र पुस्तक को और प्रासंगिक बनाते हैं। पुस्तक अंग्रेजों के बर्बर कृत्यों जैसे खुलेआम पेड़ों पर लटका कर फांसी देने, निहत्थों को तोप के मुंह से बांधकर कत्ल करने, वृद्ध महिलाओं की नृशंस हत्या करने (जैसे, काजी इनायत अली की माँ असगरी बेगम को जिंदा जलाना), हत्या के बाद भी फांसी देने आदि को पाठकों के समक्ष रख सुपारी विचारकों द्वारा फैलाए इस मिथक को तोड़ने में सफल दिखती है कि अंग्रेज सभ्य, न्यायप्रिय एवं मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले थे। पुस्तक में तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के साथ ही विभिन्न इमारतों, मंदिरों, गांवों, कस्बों आदि के नामकरण की पृष्ठभूमि तथा क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों की सटीक जानकारी समाहित है। पुस्तक नई पीढ़ी को न केवल देश के सरोकारों से जोड़ेगी बल्कि उसे पश्चिमी उत्तर–प्रदेश के चप्पे–चप्पे पर फैले स्वाधीनता संग्राम से संबंधित श्रद्धास्थलों से प्रेरणा लेने हेतु प्रेरित करेगी।

हर भारतवासी को यह नहीं भूलने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा कि बलिदानी देवपुरुषों की शहादत के बिना स्वतंत्रता हमारे लिए मात्र एक स्वप्न ही रहती। उन्होंने मौत को इसलिए गले लगाया कि भारत की अगली पीढ़ियाँ यानि हम और आप स्वतंत्र राष्ट्र में श्वास ले सकें। ऐसे देवपुरुषों को सम्मान देना एवं उनके परिवारों का खयाल रखना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। केवल कुछ परिवारों एवं व्यक्तियों के ही नहीं अपितु स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले समस्त देवपुरुषों के नाम पर संस्थान, अस्पताल, सड़क, स्कूल, पार्क, बाजार, स्टेशन, भवन, गाँव, कस्बा, शहर आदि के नाम हों जिससे इन रणबांकुरों की स्मृति हमारे मन से विस्मृत न हो सके। यदि हम आज ऐसा करने से चूक गए तो कल शायद ही कोई भगत सिंह शहादत के लिए आगे आए। 'अनकही कथा' की एक बड़ी विशेषता गावों, कस्बों, शहरों एवं इनमे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले उन सेनानियों के नाम एवं पते शामिल है जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत सोंपने के लिए खुद मौत का वरण कर लिया। स्थानीय कहावतों, पौराणिक संदर्भों एवं संपादकीय टीकाओं का समावेश 'अनकही' कथा को अत्यधिक सजीव एवं मनोरंजक बनाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रकाशित अनकही कथा पुस्तक में सचित्र वर्णित प्रतीक चिन्ह विदेशी आक्रान्ताओं के जुर्मों तथा स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदानों के साक्षी के रूप में खड़े हुए हम सबको चिरकाल तक भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्य रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। (समीक्षक के निजी विचार)

(समीक्षक गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में भौतिकी विज्ञान विभाग में शिक्षक हैं)

ISSN No. 2581-3528

इस्लाम का बढ़ता कट्टरवाद

मोहित कुमार

भारत एक प्रबुद्ध देश है, जहाँ पर संस्कृति भी विचारों से जन्म लेती है। 'अतिथि देवो भवः' या 'वसुधैव कुटुंबकम' यह भारतीय संस्कृति का लम्बे समय हिस्सा रही हैं। यह विचार संस्कृति के रूप में पहचाने जाने से पहले हर एक भारतीय के विचारों में उपस्थित थीं और हमें आज की तरह इन संस्कृतियों का उदाहरण देकर भारत की महानता बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज के समय में इन्ही विचारों में मजहबी कट्टरता के जहर को घोला जा रहा है, समय–समय पर अलगाववाद को मोहरा बना कर इस्लामिक आतंकवाद, देश में हिंसा और अराजकता को जन्म दे रहा है। और समाज पर इस आघात का मोल आम नागरिक चुका रहा है। इस्लामिक कट्टरवाद भारतीय वसुंधरा पर तीव्रता से बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार सरकार या किसी एक संगठन को ठहराना गलत होगा। दरअसल इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध एकजुटता से किया जा सकता है, देश की आजादी जिस तरह भारतीयों के एकमत से मिली, ठीक वैसे ही धर्म समाज के दायरे को निशाना बनाना बंद कर, कट्टरवादियों का विरोध और उनकी सच्चाई उजागर की जानी चाहिए। इस्लामिक कट्टरवादियों के कई क्रूर उदाहरण सामने आ चुके है, जो भारतवासियों के लिए बेहद चिंता का सबब बन रही है। इसी तरह कट्टरपंथियों की जड़े मजबूत होती गई तो एक समय ऐसा होगा जब हम भी तालिबानी सरिया कानून के तहत जीवन गुजार रहे होंगे। इन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए हर भारतवासी को एकमत होने की आवश्यकता है। बीते दिनों एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला टेलर जिसका धर्मसम्प्रदाय में कोई कुसूर नहीं था, उसे जिहादियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कोई एक कन्हैया की बात नहीं, इतिहास को दोहराएंगे तो हजारों लाखों हिंदुओं को इस्लामिक कट्टरवादियों की आंधी में जीवन गवांना पड़ा है। भारत माता के आंचल को सुरक्षित और पवित्र रखने के लिए प्रत्येक भारतवासी को एकसहमति से आगे आना होगा।

जीत का सपना देखते इस्लामिक कट्टरवादी : इस सवाल पर चर्चा से पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि हिन्दुओं के प्रति घृणा कई समय से फैलाई जा रही है, जिनमें सबसे आगे रहते हैं औवेसी भाई, आजम खान, इमाम बुखारी, अमानतुल्ला खान और ऐसे कई राजनेता जिनके कई जगह आपको भड़काऊ भाषण सुनाई दे जाएंगे, और उनका सीधा हमला हिन्दुओं के लिए होता है और उनके प्रति घृणा फैलाना होता है। आपको याद होगा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने 'गाजियाबाद वाले चचा' की घटना को असहिष्णुता का चोगा पहनाया था और अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर पकड़े गए दो आरोपियों पर इन सभी के मुँह पर ताला, हथकड़ी सब पड़ गया है। साथ ही वह लोग जो लिबरलों का हितैषी बता–बता कर हिन्दुओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उनके गले से भी

ISSN No. 2581-3528

हाय–तौबा का लड्डू निगला नहीं जा रहा है। भारत के ही कई हिन्दू एवं राजपूत शासकों ने इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं को समय–समय पर हराया है और उन्हें उनकी औकात से परिचित कराया है। यहाँ तक कि इस्लाम को भारत में पैर जमाने के लिए 500 साल का समय लग गया था, जबकि कहा यह जाता है कि कई अन्य देशों में इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने बहुत जल्दी कब्जा कर लिया था। भारत में किसी भी मुगल या अन्य मुस्लिम शासक का शासन लंबे समय तक नहीं रहा था। इसके पीछे कारण है 'ताकत का झूठा गुमान' और यही अभिमान मुगलों के पतन का कारण भी रहा है। अब आप और हम अतीत से निकलकर वर्तमान को देखने की कोशिश करते हैं, और मैं आपसे यह सवाल करता हूँ कि, क्या किसी इस्लामिक देश ने उन्नति की है? अफगानिस्तान में कई वर्ष पूर्व जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए तो उन्होंने हजारों वर्ष पुरानी बौद्ध एवं हिन्दू संस्कृति को नष्ट कर दिया था। वहां आज भी उन संस्कृति के अवशेष उपस्थित हैं, साथ ही अफगानिस्तान की स्थिति आज के आधुनिक युग में भी कुछ खास नहीं बदली है। अफगानिस्तान के साथ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका बटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ था, वह आज भी खुद को बदनामी से नहीं बचा पाता है, 'आतंकिस्तान', 'आतंक पर पलने वाला' न जाने किन–किन नामों से जाना जाता है। भारत को भी सोने की चिड़िया से बदलकर उसे लूटने वाले कौन थे? इन सभी मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है। बहरहाल, आपको बता दें कि अस्तित्व की लड़ाई में हिन्दू अभी भी कोसों दूर खड़ा है और यदि वह जागरूक नहीं हुआ तो उसको पछाड़ने का सपना देखने वाले, देश को बर्बाद करने का भी सपना देखेंगे। दुनियाभर में यदि कहीं पर भी आतंकवाद है तो उसके पीछे इस्लाम की सुन्नी विचारधारा के अंतर्गत वहाबी और सलाफी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका मकसद है जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। आतंकवाद अब किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह गया है। यह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर चुका है और इसके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं। सऊदी, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इनकी पनाहगाह हैं। इस्लामिक आतंकवाद की समस्या व उसकी जड़ के असली पोषक तत्व सिर्फ सऊदी अरब, चीन, ईरान ही नहीं हैं। इनके समर्थक गैर–मुस्लिम मुल्कों में वामपंथ, समाजसेवी और धर्मनिरपेक्षता की खोल में भी छुपे हुए हैं। इनके कई छद्म संगठन भी हैं, जो इस्लामिक शिक्षा और प्रचार–प्रसार के नाम की आड़ में कार्यरत हैं। जिनमें अल कायदा, आईएस, तालिबान, बोको हराम, हिजबुल्ला, हमास, लश्कर– ए– तोइबा, जमात –उद– दावा, तहरीक–ए–तालिबान

दरअसल इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध एकजुटता से किया जा सकता है, देश की आजादी जिस तरह भारतीयों के एकमत से मिली, ठीक वैसे ही धर्म समाज के दायरे को निशाना बनाना बंद कर, कट्टरवादियों का विरोध और उनकी सच्चाई उजागर की जानी चाहिए। इस्लामिक कट्टरवादियों के कई क्रूर उदाहरण सामने आ चुके है, जो भारतवासियों के लिए बेहद चिंता का सबब बन रही है।

पाकिस्तान, जैश–ए–मुहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जेहाद–ए–इस्लामी, अल शबाब, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू–कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दीनदार अंजुमन, अल बदर, जमात उल मुजाहिदीन, दुख्तरान–ए– मिल्लत और इंडियन मुजाहिदीन जहां इस्लाम की एक विशेष विचारधारा से संबंध रखते हैं वहीं इस्लामिक मुल्कों को छोड़कर हर देश में कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा की आड़ में भी ये संगठन पल और बढ़ रहे हैं। हिंदू इस देश में बहुसंख्यक हैं इसका फायदा होने के बजाए उन्हें नुकसान हुआ। पंथनिरपेक्षता के नाम पर छद्म पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया। दिलचस्प बात ये है कि गैर कट्टरवादी मुस्लिमों को भी इससे खासा नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज में एक बड़े वर्ग ने जब देखा कि कट्टरवादियों को हमारे राजनीतिक नुमाईंदे सर–आंखों पर बैठाते हैं तो उनके लिए भी स्वाभाविक विकल्प यही था। उधर कई मुस्लिम देशों ने भारत में कट्टरवादी संगठनों के माध्यम से मध्यकालीन मानिसकता वाले मदरसों को बड़ी संख्या में स्थापित किया, जिनसे कट्टरवादी मुस्लिमों की एक पौध का सतत् प्रवाह जारी है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण का यह मुहावरा 1920 के बाद से खिलाफत आंदोलन के समर्थन से आरंभ किया। उसका आवरण बदलता रहा पर स्वरूप नहीं। इसकी परिणति 1947 में भारत के विभाजन के रूप में तो हुई ही, इसके बाद दशकों तक भारत में हिंदू–मुस्लिम दंगे भी समय–समय पर होते है। इनमें से अधिकतर दंगों में हिंदुओं का नुकसान हुआ लेकिन मुस्लिम 'पीड़ित' के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने में सफल रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र तथा कई राज्यों में भाजपा की सरकार आने के बाद ये तिलिस्म टूटने लगा। भाजपा की केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मुस्लिम कट्टरवाद के सामने घुटने टेकने से इन्कार कर दिया। यह उस राजनीतिक–सामाजिक–पंथिक–बुद्धिजीवी गठजोड़ के लिए अप्रत्याशित था जो इस देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता को दोयम दर्ज का नागरिक बनाकर अपना दबदबा इस देश के हर क्षेत्र में कायम किए हुए था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी आदि संगठनों का उभार इसी घटनाक्रम की प्रतिक्रिया में है। राजनीति, शिक्षा, सामाजिक, मीडिया आदि क्षेत्रों में उन्हें अपने पुराने साथियों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। यह तंत्र काफी मजबूत भी है। लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकताओं की हत्या इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस्लामी कट्टरवाद एक ऐसी बिल्ली की तरह है जिसके सामने हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग उन कबूतरों की तरह आंख बंद किए बैठा है जिन्हें लगता है कि बिल्ली हमें देख नहीं पा रही इसलिए हम सुरक्षित हैं।

(लेखक साधना प्लस न्यूज प्रड्यूसर, यूपी डेस्क के रिपोर्टर हैं)

ISSN No. 2581-3528

कट्टरता की दीक्षा और भारत

नरेन्द्र भदौरिया

संसार भर के लोगों की यह समझ बहुत दृढ़ है कि मुस्लिम युवकों को कट्टरता की दीक्षा देने में पाकिस्तान सबसे आगे है। पर दूसरे नम्बर पर कौन है ? इसका उत्तर जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दौड़ में भारत बहुत शीघ्र पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकता है। भारत में इस समय पाकिस्तान से लगभग तीन गुना अधिक मदरसे चलाये जा रहे हैं। भारत में दो तरह के मदरसे हैं –एक जिन्हें सरकारी मान्यता है। इनको हर साल हजारों करोड़ की सहायता दी जाती है। दूसरे ऐसे मदरसे जो मुस्लिम मजहबी संगठनों की संस्थाओं द्वारा विपुल वित्तीय सहायता से संचालित किये जा रहे हैं। इनकी संख्या पूरे संसार के मदरसों की संख्या से कई गुना अधिक मानी जाती है। इन पर हर साल कितने हजार करोड़ व्यय होते हैं? यह धन कहाँ से आता है ? इन बातों का किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इसमें विपुल धनराशि अनुचित रीति से विदेशों से आती होगी यह बात बिना तथ्यान्वेषण के कहना ठीक नहीं है। तथापि ऐसी संस्थाओं के संचालकों के ठाठ बहुत निराले हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है।

पाकिस्तान में भी सरकारी और मजहबी संस्थाओं के मदरसे हैं। वहाँ की सरकार कहती है कि उसकी सहायता से पाकिस्तान के चार राज्यों में 27800 मदरसे चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त मजहबी कट्टरपन्थी संस्थाएं 34900 मदरसे अपने संसाधनों से चला रही हैं। यह आँकड़े चार वर्ष पहले के हैं।

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा, खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख लेपिटनेंट जनरल नदीम अंजुम दोनों ने जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान के मदरसों से हर वर्ष 32 लाख से अधिक ऐसे युवक निकल रहे हैं। यह सबके सब कट्टरता के अतिरिक्त किसी विद्या में प्रवीण नहीं है। दोनों ने देश के कट्टरपन्थी मौलानाओं और हिंसक राजनीति में चतुर लोगों से पूछा है कि पाकिस्तान की पूर्व सरकारों की बोयी हुई यह फसल देश के किस काम की है ? सीधी बात यह कि इस इस्लामी सेना को किसका रक्त पीने के लिए आखिर कहाँ भेजा जाये? वहाँ की सेना के लिए यह बड़ी चुनौती है।

इमरान खान ने सेना से कहा था कि मदरसों से निकले युवा मजहब के नाम पर बड़े लड़ाका हैं। जिनको सेना में स्थान मिलना चाहिए। सेनाध्यक्ष जावेद और इमरान के बीच विवाद का एक बिन्दु यह भी था। शत्रु देश की समस्या विकराल है। इससे भारत प्रभावित भी है। पर हमारी चिन्ता अपने देश के भीतर तैयार कट्टर मजहबी मुस्लिम युवाओं की है। भारत में हर साल मदरसों की संख्या बढ़ रही है। इनसे दूसरों के रक्त पिपासु कितने युवक निकल रहे हैं इसके आँकड़े भारत सरकार और मजहबी संस्थाएं नहीं दे पा रही हैं। पर यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत में पाकिस्तान से अधिक मदरसे खुल चुके हैं। भारत की गुप्तचर एजेंसियों की चिन्ता है कि देश के भीतर ऐसे मदरसे हैं जहाँ गला काटने, दंगा भड़काने, आग लगाने के साथ सभी उत्पाती कामों की दीक्षा दी जाती है। यह बहुत गम्भीर समस्या है।

भारत के 28 राज्यों 08 केन्द्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमन्त्री बनने से पहले पिछली सरकारों ने राज्य में 16461 मदरसों को पंजीकृत किया था। इनमें से 558 मदरसों को हर वर्ष 08 अरब 66 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता सरकार को देनी पड़ रही है। शेष मदरसों की माँग है कि उनको भी सरकारी कोष से नियमित सहायता दी जाये। योगी सरकार ने जुलाई 2022 में राज्य मन्त्रिमण्डल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि नये मदरसों को सरकारी सहायता के लिए चयनित किया जाय। कैबिनेट ने तय किया कि सभी मदरसों का भौतिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनमें कट्टरता की दीक्षा तो नहीं दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता पर चल रहे मदरसे बहुत अधिक नहीं हैं। यह बात एक मुस्लिम मजहबी नेता ने कही है। इनका कहना है कि देश के इस महत्त्वपूर्ण राज्य में लगभग 50,000 से 60,000 मदरसों का संचालन मुस्लिम मजहबी संस्थाएं स्वयं कर रही हैं। जिन पर निश्चित रूप से अकूत धन व्यय किया जा रहा है। इसलिए सरकारी तन्त्र के मदरसे और उन पर हो रहा व्यय तुलना में इन्हें बहुत न्यून लगता है।

एक प्रसिद्ध मौलाना रसीद फिरंगी महली मानते हैं कि भारत की हर मस्जिद के साथ एक मदरसा अवश्य होता है। भारत ऐसा देश है जहाँ 3,80,000 से अधिक मस्जिदें हैं। इण्डोनेशिया संसार का ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक 8,60,000 यानी संसार में सबसे अधिक मस्जिदें हैं। पर वहाँ मदरसों की संख्या बहुत कम है। यह दो हजार भी नहीं है। यही कारण है कि संसार के सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देश इण्डोनेशिया (प्राचीन नाम दीपान्तर देश) में मजहबी कट्टरता नाममात्र भी दिखायी नहीं देती।

भारत की चिन्ता तीन प्रकार की है। पहली यह कि हमारे पड़ोसी शत्रु देश पाकिस्तान से कट्टरपन्थ का आयात भारत में न होने पाये। दूसरे पाकिस्तान से भारत के कट्टरपन्थियों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पाये। तीसरी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि भारत में रक्त पिपासु कट्टरपन्थियों को गढ़ने वाले मदरसे चिन्हित करके उन्हें बन्द कराया जाय। इन तीनों समस्याओं की एक जड़ है – ऐसे आर्थिक स्रोत जो भारत में मुस्लिम युवाओं को खूँख्वार लड़ाका बना रहे हैं। ऐसी संस्थाओं के संचालकों का पता लगाना कठिन नहीं है जो ऐसे मदरसे चला रहे हैं जहाँ भाषाई और मजहबी शिक्षा के साथ घनघोर आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सब एक लाभकारी व्यवसाय की भाँति ऐसी सरकारों के संरक्षण में खड़ा किया गया जो धर्म निरपेक्षता की चादर से अपना मुँह ढके हुए मौन साधे रहीं।

भारत में उत्तर प्रदेश के बाद बँगाल, केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार में मदरसों की बढ़ती संख्या चिन्ता जगाती है। असम ऐसा उदाहरण है जहाँ मदरसों की कट्टरता पर तीव्रता से अंकुश लगाया गया है। कर्नाटक तो तेजी से कट्टरता की ओर बढ़ता राज्य कहा जा सकता है। बंगाल ने अपनी कोंख में ऐसी कट्टरता को पाल लिया है कि आने वाले कई दशक इस राज्य की जनता को इससे उबरने में लग सकते हैं।

इन तथ्यों से यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि रुग्णता असाध्य हो चुकी है। भारत में हिंसा की चित्त वृत्ति नियोजित ढंग से बनायी जा रही है। इसके मूल में वह राजनीतिक कारक हैं जो इस देश की धरती से हिन्दुत्व का सर्वनाश चाहते हैं। मजहब, रिलीजन और कम्युनिज्म की तिकड़ी इसके लिए संयुक्त अभियान से आबद्ध हैं। इस तिकड़ी में इस्लाम की हिंसा की शक्ति है। ईसाइयत की शक्ति धन बल से मतान्तरण में लगी है। जबकि कम्युनिज्म के तन्त्र ने मिथ्या प्रचार का बीड़ा उठा रखा है। हिन्दू संगठनों की शक्ति इन तीनों पर भारी है तथापि हिन्दू समाज का बहुसंख्यक वर्ग अपनी भीरुता और अधीरता से प्रायः समस्या को उसकी तीव्रता से अधिक मान बैठता है। जबकि जीत का आधार पहले से कहीं अधिक दृढ़ हुआ है।

(लेखक राष्ट्रवादी विचारक एवं लेखक हैं)

ISSN No. 2581-3528

'दीन दुखी की सेवा करना, निश्चित कर्म हमारा है'

अनुपमा अग्रवाल

किसी भी आश्रयहीन, लावारिस, बीमार को सेवा और संसाधनों के अभाव में वेदनादायक पीड़ा एवं असामयिक मृत्यु का शिकार होने से बचा सकें, इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए डॉ. बी एम भारद्वाज ने राजस्थान के जिला भरतपुर से 8 किमी की दूरी पर स्थित गांव बझेड़ा में 29 जून 2000 में पहले 'अपना घर' आश्रम की शुरुआत की। यह एक ऐसा सदन है जहां सेवा को पूजा व मानव सेवा को माधव सेवा माना जाता है तथा सेवा को उपकार नहीं दायित्व समझकर कार्य किया जाता है। 'अपना घर' परिवार ऐसे आश्रयहीन, असहाय, दीनहीन, लाचार प्रभु स्वरूप पीड़ितों को अपनाता है जो प्लेटफार्म, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों, सड़क आदि जगहों पर पड़े रहकर या फिर बीमारी की बेसुध अवस्था में अनेक कष्ट झेल रहे होते हैं। असीम गन्दगी के साथ नरकीय जीवन जीने को मजबूर इन दीन जनों के पास पीड़ा के समय में भूख के लिए भोजन, दर्द के लिए दवा, तन ढकने के लिए वस्त्र तो दूर की बात है अंतिम समय में पानी भी नसीब नहीं होता।

'अपना घर' सदन में आश्रय पाने वाले लोगों को प्रभुजी नाम से संबोधित किया जाता है। जबकि उनकी सेवा करने वाले लोगों को सेवादार की संज्ञा दी गई है। अभी तक इस सदन में जिन प्रभु रूप लोगों को भर्ती किया गया है उनकी स्थिति अत्यंत गम्भीर और दयनीय तो थी ही साथ ही उनमें से कुछ एक में से इतनी बदबू आ रही थी कि उनको छूना तो दूर उनके पास से गुजरना भी दूभर था। किसी प्रभुजी के पैर के घाव में कीड़े पड़ चुके थे तो कोई जून की भरी गर्मी में 50 टीशर्ट पहने धूप में सड़क किनारे पड़ा था। दिल्ली कश्मीरी गेट के पास एक प्रभुजी व्हीलचेयर पर बेसुध अवस्था में मिले जिनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। बदबू के कारण कोई पास भटकने को तैयार नहीं था 'अपना घर' के लोग उन्हें एम्बुलेंस में डालकर सदन लाये तब पता चला कि प्लास्टर के भीतर उनका हाथ पूरी तरह सड़ चुका था। 'अपना घर' में रहने वाले सभी प्रभुजी की इस तरह की अपनी अलग–अलग कहानी है, जो अत्यंत पीड़ादायक व मन विचलित कर देने वाली है। किसी के सहयोग से या सेवादारों के सहयोग से जब इन प्रभुजी को 'अपना घर' लाया जाता है तो सबसे पहले इनको पूरी तरह गंजा करके दवाओं के पानी से स्नान कराया जाता है। इस विधि को अभिषेक कहा जाता है। इसके बाद इन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी व मनोचिकित्सकीय उपचार प्रदान किया जाता है। बाद में, पूरी तरह स्वस्थ होने के पश्चात इन लोगों के घर संपर्क किया जाता है जिनमें से कुछ के घर वाले उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और कुछ का सही पता न मिलने की स्थिति में स्वस्थ प्रभुजी अपना घर में अपनी सेवाएं देने लगते हैं।

'अपना घर' परिवार अनजान, असहाय पीड़ितों को न केवल अपनाता है बल्कि जीवनयापन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यहां उन्हें रहने के लिए निशुल्क आश्रम, चिकित्सा, भोजन, कपड़ा, सुरक्षा, शिक्षा के साथ अपनापन, स्नेह व ममतामयी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में, देशभर में 'अपना घर' के कुल 40 आश्रम संचालित हैं। सभी आश्रमों में 6600 से ज्यादा पीड़ित असहाय महिला, पुरूष व बच्चे प्रभु रूप में सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। जिनमें से 60 प्रतिशत प्रभुजी दवाओं पर व 40 प्रतिशत प्रभुजी सम्पूर्ण दिनचर्या के लिए सेवादारों पर आश्रित हैं। संस्था द्वारा अभी तक 23 राज्यों के 20,000 से अधिक परिवारों को उनकी खुशियां लौटाई जा चुकी हैं। किसी के बिछुडे पिता, भाई, बहिन तो किसी की बिछुड़ी मां से मिलाया जा चुका है। इस पुनीत कार्य से विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले 10 लाख से अधिक सेवाभावी लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। चूंकि 'अपना घर' संस्था की शुरुआत भरतपुर से हुई इस दृष्टि से यहां प्रभुजी की संख्या लगभग 3372 है जिसमें से 1834 से अधिक महिला प्रभुजी और 90 से अधिक बाल गोपाल प्रभुजी सेवाएं ले रहे हैं। 'अपना घर' आश्रम में प्रतिमाह औसतन 354 प्रभु स्वरूप पीड़ित भर्ती होते हैं जिनमें से लगभग 190 प्रतिमाह स्वस्थ होने के पश्चात पुनर्वासित कर दिए जाते हैं या कहें उनको उनके घर वाले ले जाते हैं।

प्रभुजी मनोरोगी, मंदबुद्धि, नेत्रहीन, लखवाग्रस्त, पोलियोग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त, दमा, एचआईवी, टीबी, कुष्ठ रोग जैसी गम्भीर रोगों से ग्रसित होते हैं। भर्ती के दौरान उनकी पूर्ण जांच करवाकर उनकी चिकित्सकीय सहायता व उपचार कराया जाता है व गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु राजकीय व निजी चिकित्सालयों में भी चिकित्सा कराई जाती है। तथा चिकित्सा के दौरान गम्भीर रूप से बीमार जिन प्रभुजी को बचा पाने में असमर्थ हो जाते हैं उनकी रीति नीति के साथ अंतिम विदाई की जिम्मेदारी 'अपना घर' आश्रम उठाता है। भरतपुर के आश्रम में केवल प्रभुजी ही नहीं बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गौमाता, पशु पक्षी व वन्य जीवों हेतु भी 'वंशी प्रकल्प' भी संचालित होता है। इस सेवा सदन में 250 से अधिक गौमाता, हिरण, नील गाय, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, चिड़िया आदि जीव जन्तुओं के रहने की अलग अलग व्यवस्था है।

कहते हैं निःस्वार्थ भाव व सच्चे मन से किये जाने वाले सेवा कार्य में ईश्वर भी पूर्ण सहयोग करते हैं। सभी 'अपना घर' आश्रम के संचालक और सेवादारों का ऐसा मानना है कि बिना किसी विज्ञापन व चंदे के आग्रह के धन एकत्र करने की बजाय 'अपना घर' का खर्चा ठाकुरजी की कृपा से चलता है। आश्रमों की दैनिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, दवा, चिकित्सा आदि अन्य जरूरी सामग्री को एक चिट्ठी में लिखकर, 'अपना घर' मंदिर में विराजमान ठाकुरजी के समक्ष रख दिया जाता है। जिसे पूरा करने के लिए ठाकुरजी विभिन्न मानव स्वरूपों में स्वतः आते हैं। यह सिलसिला निर्बाध रूप से संस्था की स्थापना से लेकर आजतक जारी है।

संस्था द्वारा सेवाओं के विस्तारीकरण के तहत अन्य शहरों में भी 'अपना घर' आश्रम संचालित करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि कोई असहाय पीड़ित सेवा से वंचित न रह पाए व पीड़ित को उसकी जगह पर ही सेवा उपलब्ध कराकर पीड़ा से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त हर प्रभु स्वरूप पीड़ित तक पहुंचने के लिए व असहाय पीड़ित को निकटवर्ती आश्रम में भिजवाने हेतु 'अपना घर' हेल्पलाइन नंबर व सेवा समितियां संचालित की जा रही हैं। 'अपना घर' मात्र ऐसा संगठन है जो देशभर में कहीं पर भी भवन मिल जाने की स्थिति में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर देता है।

(लेखिका समाजसेवी एवं पत्र लेखिका हैं)

ISSN No. 2581-3528

विश्व व्यापार संगठन में भारत का प्रभावी योगदान

प्रह्लाद सबनानी

अभी हाल ही में सम्पन्न हुई विश्व व्यापार संगठन की बैठक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो विशेष रूप से, भारत की अगुवाई में, विकासशील देशों की जीत के रूप में देखे जा रहे हैं। दिनांक 17 जून 2022 का दिन विश्व व्यापार संगठन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इस दिन 164 सदस्य देशों ने लगभग 9 वर्षों के उपरान्त कुछ मुद्दों पर एक राय से फैसला लिया है। 5 दिनों तक लगातार चली बैठकों में स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर यह फैसले एकमत से लिये गये है। वर्ष 2012–13 के बाद से लगातार लगभग 9 वर्षों तक विश्व व्यापार संगठन में एक भी निर्णय एकमत से नहीं हो सका है। इतने लम्बे अंतराल के बाद 17 जून 2022 को कुछ निर्णय एक राय से लिए जा सके हैं, यह आगे आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है।

जब विश्व व्यापार संगठन की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई थी, उस समय किसी भी देश ने ऐसा नहीं सोचा था कि एकमत से कोई निर्णय हो सकेगा। परंतु, भारतीय प्रतिनिधि मंडल की प्रभावकारी भूमिका के चलते ऐसा सम्भव हो सका है और समस्त सदस्य देशों के बीच कई साकार समझौते सम्भव हो सके हैं। इससे आगे आने वाले समय में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को लागू करने की सम्भावना एक बार पुनः जागी है। अभी तक केवल विकसित देश अपनी चौधराहट के दम पर अपने हित में ही समझौते कराने में सफल हो जाते थे। परंतु, अब भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों का आपस में एक साझा रणनीति के अंतर्गत काम करना एक तरह से विश्व व्यापार संगठन के समस्त देशों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है।

हाल ही में पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए टीकों का निर्माण एवं निर्यात अविकसित एवं विकासशील देशों में करने हेतु, बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बंधी नियमों में कुछ ढील देने के लिए, सभी देशों के बीच सहमति बनी है। अब इन टीकों का न केवल ये देश निर्माण कर सकेंगे बल्कि अन्य छोटे–छोटे देशों को निर्यात भी कर सकेंगे। इस नियम में ढील देने का सीधा–सीधा लाभ, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं दक्षिणी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के गरीब देशों को होगा और अब इन देशों के नागरिकों को भी कोरोना महामारी से बचाया जा सकेगा।

भारत पूर्व से ही टीकों एवं दवाईयों का निर्यात छोटे–छोटे देशों को, सहायता के रूप में, करता आया है। अब जाकर विश्व के अन्य देशों ने भी भारत के इन प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य देशों को टीकों एवं दवाईयों के निर्माण के सम्बंध में लागू बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बंधी नियमों में कुछ छूट देने पर विचार करने की बात कही है। यह दरअसल समय की मांग भी है। विश्व व्यापार संगठन की आगामी बैठकों में इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करने की बात भी कही गई है। वर्तमान में विशेष रूप से नई ईजाद की गई दवाईयों का निर्माण बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बंधी नियमों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। अतः यह अधिकार केवल उन कम्पनियों के पास ही रहता है, जिन्होंने इन दवाईयों को ईजाद किया है। अन्य देश इन दवाईयों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इन दवाईयों के उपयोग से छोटे–छोटे गरीब देशों के नागरिक वंचित रह जाते हैं।

भारत ने अन्य गरीब देशों के हितों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे को इस बैठक में बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाया था, जिसे अन्य विकासशील देशों का अपार समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि भारत को इस निर्णय से सीधे–सीधे कोई लाभ होने वाला नहीं है, परंतु अन्य विकासशील देशों को जरूर इससे बहुत अधिक लाभ होने जा रहा है। हां, विशेष रूप से टीकों एवं कुछ जरूरी दवाईयों के निर्माण में पेटेंट सम्बंधी नियमों को यदि पूरे तौर पर हटा दिया जाए तो भारत को बहुत लाभ हो सकता है। परंतु, इस सम्बंध में अभी विचार करने की बात कही गई है, जिसे भारत के हित में एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। पेटेंट सम्बंधी नियमों को शिथिल किया ही जाना चाहिए। अब यह समय की मांग भी है। इस प्रकार के निर्णय बड़ी बड़ी कम्पनियों के तुलना पत्र के आकार को बढ़ाने की दृष्टि से नहीं लिए जाने चाहिए, बल्कि गरीब देशों के नागरिकों को भी अच्छी से अच्छी दवाईयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास होना चाहिए।

हालांकि गरीब देशों द्वारा टीके के निर्माण के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बंधित नियमों में कुछ ढील देने का निर्णय किया जरूर गया है परंतु, व्यावहारिक रूप से इन देशों को टीकों के निर्माण में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कच्चे माल के लिए इन देशों को पूर्ण रूप से विकसित देशों पर ही निर्भर रहना होगा। दूसरे, इन टीकों को अन्य देशों को निर्यात करने के लिए सप्लाई चेन की आवश्यकता होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन भी विकसित देशों द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। अतः केवल बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बंधी

ISSN No. 2581-3528

नियमों में कुछ ढील देने से काम होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर नियमों में शिथिलता लाने के साथ साथ विकसित देशों को भी छोटे एवं गरीब देशों की सहायता में आगे आना होगा।

दूसरे, अभी हाल ही के समय में, वैश्विक स्तर पर, यह ध्यान में आया है कि कई देशों द्वारा समुद्र की सीमा में मछली उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, इससे समुद्रीय पर्यावरण के विपरीत रूप से प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। अतः इन देशों द्वारा मछली पकड़ने हेतु मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को अब कम करने पर विचार किया जा रहा है। ताकि मछली उत्पादन को एक निर्धारित सीमा के अंदर लाया जा सके एवं इससे पर्यावरण को हो रहे नुक्सान को रोका जा सके।

आजकल भारी मात्रा में हो रहे मछली उत्पादन के लिए नए नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जापान, दक्षिणी कोरिया एवं अन्य कई विकसित देश भारी मात्रा में मछली उत्पादन के लिए न केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस सम्बंध में बुनियादी ढांचा भी विकसित कर लिया है। किंतु भारत द्वारा अभी इस दिशा में काम किया जा रहा है एवं मछुआरों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु तथा इस सम्बंध में बुनियादी ढांचा भी विकसित करने हेतु भारत द्वारा अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं।

अब जब विश्व व्यापार संगठन में इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं कि जिन देशों द्वारा भारी मात्रा में मछली उत्पादन किया जा रहा है और अगर इससे समुद्रीय पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो इन देशों द्वारा मछली उत्पादन हेतु उपलब्ध करायी जा रही सब्सिडी की राशि को घटाया जाय। हालांकि जिन देशों द्वारा इस सम्बंध में अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर यदि मछली का अतिरिक्त उत्पादन, अवैधानिक एवं अनभिलिखित रूप से किया जा रहा है एवं इससे यदि समुद्रीय पर्यावरण विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सब्सिडी की राशि कम करने अथवा समाप्त करने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु, भारत द्वारा भारतीय मछुआरों को चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपलब्ध कराने एवं बुनियादी ढांचा विकसित करने सम्बंधी क्षेत्र में अभी कार्य किया जा रहा है एवं भारत द्वारा चूंकि देश में मछली उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक विशेष योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" भी चलाई जा रही है। अतः भारतीय मछुआरों के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी को कम नहीं करने की मांग इस बैठक में भारत ने पूरे जोरशोर से उठाई। भारत की इस मांग पर विश्व व्यापार संगठन ने गम्भीरता से विचार किए जाने की बात कही है और इस प्रकार अभी भारत सरकार द्वारा भारतीय मछुआरों को प्रदान की जा रही सब्सिडी को कम करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय को भी विश्व व्यापार संगठन में भारत की जीत के रूप में देखा जा रहा है। **(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हैं)**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सभी पाठकों को केशव संवाद पत्रिका की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं

ISSN No. 2581-3528

ये देश हमारा प्यारा, हिन्दुस्तान जहां से न्यारा

नीलम भागी

कहते हैं कि पुरानी बातों को करने का नशा होता है और मित्र के बिना तो जीवन अधूरा सा लगता है। कितने भी व्यस्त हों पर सब मित्रों के लिए समय निकाल ही लेते हैं इसलिए अगस्त के पहले रविवार को अन्तर्राष्ट्रीय मित्र दिवस मनाया जाता है।

नाग को हमारे यहां देवता की तरह पूजा जाता है। नागपंचमी (2 अगस्त) पर इनकी पूजा का विशेष दिन होता है। हमारे पूर्वजों ने इनकी पूजा करके हमें बताया है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। इनको देखते ही मारना नहीं चाहिए। इनका मुख्य भोजन चूहे हैं और चूहे अनाज को नष्ट करते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। इस वर्ष 4 अगस्त को उनकी 525वीं जयंती है। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा को घर में रखना शुभ मानते हैं। तुलसी जयंती को देश भर में संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन सावन मास की पूर्णिमा को (इस वर्ष 11 अगस्त) मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो उनकी अंगुली से रक्त बहता देखकर द्रोपदी ने अपनी साड़ी चीर कर उसका टुकड़ा उनकी अंगुली पर बांधा था। तभी से रक्षा बंधन मनाने की परंपरा है। इतिहास में भी कई कहानियां हैं। रक्षा बंधन मनाने के पीछे हमारे पूर्वजों की बहुत प्यारी सोच है। गांव की बेटी दूसरे गांव में ब्याही जाती है। उसके सुख–दुख की खबर भी रखनी है। माता–पिता सदा तो रहते नहीं हैं। उनके बाद भाई बहन की सुध लेता रहे। इस त्यौहार पर भाई के घर बहन आती है या भाई, बहन के घर राखी बंधवाने जाता है। बहन भाई का यह उत्सव पारिवारिक मिलन है।

राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त भारतवासी कहीं भी हों धूमधाम से मनाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। भारतवासी अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति की भावना के साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाते है।

कान्हा के जन्म (18 अगस्त) की खुशी हम ऐसे मनाते हैं जैसे परिवार में बालक का जन्म हो। दुबई से उत्कर्षिनी ने फोन किया,''आप भारत से आते समय मेरी जर्मन मकान मालकिन के लिए मुरली ले आना वह प्रोफैशनल बांसुरी वादक है।' दो मुरली लेकर मैं काल्या मुले के घर गई। उसके वैभवशाली ड्रांइगरुम में मुरलीधर विराजमान थे। मैंने कान्हा के चरणों में मुरलियाँ अर्पित कर दीं और काल्या मुले से कहा,''आज इनका हैप्पी बर्थ डे है।''उसने चहक कर पूछा,''कैसे सैलिब्रेट

करते हैं?''मैंने कहा,'' नहा कर, इनके आगे घी का दीपक जलाते हैं।'' उसने तपाक से पूछा,''घी क्या होता है?'' मैंने जीनियस की अदा से उसे समझाया कि दूध उबाल कर, उसे जमाकर, दही बिलोकर, मक्खन निकाल कर, उसे पिघला कर, घी बनाते हैं। उसने इस सारे प्रौसेस को बहुत ध्यान से सुना। मैं घर आ गई। उसका जन्माष्टमी का बुलावा आया। मैं पहुँची। मूर्ति के आगे, कटोरी में दीपक, ताजे फूल सजे थे। उससे दीपक जलवाया। मैंने गणेश वन्दना कर, उसके हाथ में बांसुरी दी। उसने धुन छेड़ी। दीपक की लौ भी मुझे, मधुर धुन के साथ झूमती लग रही थी। मैं राग–रागनियाँ नहीं जानती, लेकिन सुनना बहुत अच्छा लग रहा था।

कटरा से लगभग तीन किमी की दूरी पर सड़क पर ही चामुण्डा देवी मंदिर के अन्दर से थोड़ा सा चलने पर प्राचीन स्थान गोगा वीर जी का है। यह देख मैं हैरान! अलग से भी प्रवेश द्वार है पता चला कि इनकी पूजा हर मजहब में होती है। लोक देवता गोगा वीर जी, गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। इन्हें हिन्दू और मुसलमान मानते हैं। वे इन्हें जाहरवीर गोगा पीर कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुग्गा नवमीं पर गोगा वीर जी की विशेष पूजा की जाती है।

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (30 अगस्त) को सौभाग्यवती महिलाओं का त्यौहार हरितालिका तीज व्रत है। व्रती महिलाएं पति की लम्बी आयु के लिए शिव पार्वती की पूजा करती हैं। 30 अगस्त को लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कहते हैं।

अरुणा ने चहकते हुए घर में कदम रखा और बताया,''दीदी मेरे बेटे ने कहा कि इस गणपति पर वह मुझे सोने की चेन लेकर देगा। ''मैंने पूछा कि तेरे बेटे की बढ़िया नौकरी लग गई है क्या? वो बोली,''नहीं दीदी, मेरा बेटा बहुत अच्छा ढोल बजाता है। बप्पा को ढोल, नगाड़े बजाते, नाचते हुए लाते हैं और ऐसे ही विसर्जन के लिए ले जाते हैं। इन दिनों बेटे की सूरत भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है पर गणपति बप्पा उस पर बड़ी मेहरबानी करते हैं।'' सोसाइटी में गणपति के लिए वाटर प्रूफ मंदिर बनाया, स्टेज बनाई गई और बैठने की व्यवस्था की गई। सभी फ्लैट्स में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुदर्शी तक होने वाले बौद्धिक भाषण, कविता पाठ, शास्त्रीय नृत्य, भक्ति गीत, संगीत समारोह, लोक नृत्य के कार्यक्रमों की समय सूची पहुंच गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मैं सूची पढ़ती जा रही और अपनी कल्पना में, मैं तिलक की आजादी की लड़ाई से इसे जोड़ती जा रही थी। इनके द्वारा ही समाज संगठित हो रहा था, आम आदमी का ज्ञान वर्धन हो रहा था और छुआछूत का विरोध हो रहा था।

गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या को सब तैयार होकर गणपति के स्वागत में सोसाइटी के गेट पर खड़े हो गए। ढोल नगाड़े बज रहे थे और सब नाच रहे थे। गणपति को पण्डाल में ले गए। अब सबने जम कर नाच नाच कर, उनके आने की खुशी मनाई। 31 अगस्त से 10 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव शुरु होता है।

(लेखिका, जर्नलिस्ट, ट्रैवलर, ब्लॉगर हैं)

ISSN No. 2581-3528

बहुराष्ट्रीय दवाई कम्पनियों का मकड़जाल

मोनिका चौहान

हाल ही में यूपी सरकार ने जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों को लेकर एक अहम फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांडेड दवाएं नहीं लिख सकेंगे बल्कि उसकी जगह जेनेरिक दवाई लिखनी होंगी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने डॉक्टरों द्वारा सहायता प्राप्त और सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाइयों की जगह ब्रांडेड दवाई लिखने पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। डाक्टरों को आदेश दिया गया है कि वह दवाओं के ब्रांड के नाम की जगह सॉल्ट का नाम लिखेंगे, जिससे मरीज उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवाई खरीद सके। इससे आमजन को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी और डॉक्टरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सांठगांठ के द्वारा ज्यादा मुनाफा कमाने वाली नीति से बचा जा सकेगा। इस फैसले से दम तोड़ती प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को भी बल मिलेगा। आइए जाने कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्रांडेड दवाइयां बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाती हैं।

जब कंपनी एक नई दवा बनाती है तो उसके लिए खोज, विकास, विपणन, प्रचार और ब्रांडेड पर पर्याप्त लागत आती है। जेनेरिक दवाइयां, डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फार्मूले और सॉल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती हैं इसलिए जेनेरिक दवा निर्माताओं की रिसर्च और उत्पादन में लागत कम लगती है। इसके अलावा जेनेरिक दवाओं के निर्माण में मनुष्य और जानवरों पर बार–बार क्लिनिकल ट्रायल करने का भी कोई खर्च नहीं होता क्योंकि यह सभी परीक्षण मूल दवा निर्माताओं द्वारा पहले ही किए जा चुके होते हैं। जेनेरिक दवाइयां बड़े स्तर पर मार्केटिंग प्रमोशन और सेलिंग स्ट्रेटजी के बगैर साधारण तरीके से बेची जाती हैं इसके साथ ही इन दवाइयों के लिए विशेष और ब्रांड विशिष्ट पैकेजिंग की आवश्यकता नहीं होती है जिससे इनकी कीमतें ब्रांडेड दवाइयों से काफी कम हो जाती हैं। यही वजह है कि सरकार भी जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सभी खोज एवं स्टडी के बाद एक रासायनिक सॉल्ट तैयार किया जाता है जिसे आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए दवा का रूप दिया जाता है। इस सॉल्ट को अलग–अलग कंपनी अलग–अलग नामों से बेचती है। इस सॉल्ट

का जेनेरिक नाम इस सॉल्ट के कंपोजीशन व बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी सॉल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है।

जब भी कोई कंपनी किसी दवाई की खोज करती है तो वह कंपनी उसका अपने नाम से पेटेंट कराती है और यह पेटेंट लगभग 10–20 साल तक के लिए किया जाता है। जब तक दवाई पेटेंट में होती है तब तक उसका निर्माण केवल खोज करने वाली कंपनी ही कर सकती है। अगर कोई दूसरी कंपनी इस पेटेंट को खरीद लेती है तो वह भी इस रासायनिक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकती है। जब उस दवाई का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उस दवाई को पब्लिक कर दिया जाता है मतलब उस दवाई को अब कोई भी कंपनी बना सकती है।

एचआईवी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों के ज्यादातर पेटेंट बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास हैं और यह कंपनियां इन्हें अलग–अलग ब्रांड के नाम से बेचती हैं जोकि जेनेरिक दवाइयों की अपेक्षा काफी ज्यादा महंगी होती हैं। एचआईवी की दवा टेनोफोविर और एफाविरेंज ब्रांडेड दवाइयों का खर्च लगभग ₹175000 प्रति माह है जबकि जेनेरिक दवाइयों में यही खर्च लगभग ₹840 प्रति माह तक होता है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों की क्वालिटी में आमतौर पर कोई अंतर या फर्क नहीं होता। ब्रांडेड एवं जेनेरिक दवाई में एक जैसा एक्टिव इनग्रेडिएंट होता है और एक जैसी डोज होती है तो इनका प्रभाव भी बिलकुल एक जैसा होता है। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में सबसे बड़ा अंतर केवल कीमत का है।

जेनेरिक दवाई जिस रासायनिक सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे पेरासिटामोल एक रासायनिक सॉल्ट है जो दर्द और बुखार में काम आता है तो अगर कोई कंपनी इसे पेरासिटामोल नाम से बेचती है तो इसे जेनेरिक दवाई कहा जाएगा लेकिन जब इसी दवाई को कोई कंपनी ब्रांड के नाम से बेचती है जैसे क्रोसिन तो इसे ब्रांडेड दवाई कहा जाता है। सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, खासी, बुखार आदि के लिए जेनेरिक दवाइयां दस पैसे से लेकर एक रुपए प्रति टेबलेट तक मिलती हैं जबकि ब्रांडेड दवाइयों में यही दवाई एक रूपये से लेकर 35 रूपये तक पहुंच जाती हैं।

सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी जेनेरिक दवाइयां लिखने के निर्देश दिए जाने चाहिए। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाये और इन स्टोर पर डॉक्टर दुवारा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गयी सभी दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार दुवारा जेनेरिक दवाइयों को लेकर उठाया कदम सराहनीय हैं। दरकार है कि आज लोग जेनेरिक दवाओं के बारे में जानें और खासतौर पर गरीबों को इस ओर जागरूक करें ताकि वे दवा कंपनियों के मकडज़ाल में न फंसें।

(लेखिका शिक्षिका हैं)

ISSN No. 2581-3528

डॉ. हेडगेवार जी का स्वतंत्रता संग्राम

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

अधिकांश लोगों का मानना है कि पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने बस मातृभूमि की पूजा की और भारत की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए एक प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और कुशल आयोजक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वे एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, उत्साही वक्ता और महान विचारक भी थे। इसकी जानकारी कुछ ही लोगों को है।

जो लोग सवाल उठाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में 'आरएसएस' ने क्या भूमिका निभाई, उन्हें डॉ हेडगेवार जी, उनके संघर्ष, उनके कठोर कारावास और उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया, के बारे में जानना चाहिए। 1925 में आरएसएस के गठन के बाद, न केवल संघ के स्वयंसेवकों बल्कि कई राष्ट्रवादियों को भी उनके भाषणों और जमीनी कार्यों से प्रेरित किया गया था। यह जानने के लिए पढ़ें कि कैसे उन्होंने इतनी बाधाओं के बावजुद ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया।

मई 1921 में, कटोट और भरतवाड़ा में डॉ. हेडगेवार के आक्रामक भाषणों के जवाब में, उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई 14 जून, 1921 को अदालत में शुरू हुई, जिसमें स्मेमी नाम के एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने कार्यवाही देखी। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद, डॉ हेडगेवार ने इस अवसर का उपयोग राष्ट्रीय जागरण के लिए करने का फैसला किया और अपनी पैरवी खुद करने का फैसला किया।

5 अगस्त, 1921 को उन्होंने अपना लिखित बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा, 'मुझ पर आरोप है कि मेरे भाषणों ने भारतीयों के मन में यूरोपीय लोगों के खिलाफ असंतोष, घृणा और देशद्रोह की भावना पैदा की है।' मैं इसे अपने महान देश का अपमान मानता हूं कि एक विदेशी सरकार यहां एक स्थानीय नागरिक से सवाल कर रही है और उसे जज कर रही है।

मैं नहीं मानता कि आज भारत में एक वैध सरकार है। अगर ऐसी सरकार मौजूद है तो यह आश्चर्यजनक है अगर यह दावा किया जा रहा है तो। आज जो भी सरकार मौजूद है, वह भारतीयों से छीनी हुई शक्ति है, जिससे एक दमनकारी शासन अपनी शक्ति प्राप्त करता है। आज कानून और अदालतें इस अनधिकृत व्यवस्था की कृत्रिम कृतियां हैं। जनता की चुनी हुई सरकारे है जो दुनिया के ज्यादातर देशो में लोगों के लिए बनी है, और वह सरकारे सही कानूनों की शासक है। सरकार के अन्य सभी रूप केवल धोखाधड़ी हैं जिन्हें शोषकों ने छीन लिया है–शोषकों ने असहाय देशों को लूटने के लिए उनपर नियंत्रण लिया है।

मैंने जो करने की कोशिश की वह मेरे देशवासियों के दिलों में रहने के लिए पर्याप्त था। मैं अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना जगा सकता हूं। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत देश का अस्तित्व कायम है। यह भारत के लोगों के लिए अभिप्रेत है।

अगर कोई भारतीय अपने देश के लिए राष्ट्रवाद फैलाना चाहता है और देशवासियों को अपने देश के बारे में बेहतर महसूस कराने के इरादे से कुछ बोलता है, उसे देशद्रोही नहीं माना जाना चाहिए और जो लोग राष्ट्रवाद फैलाते हैं, भारत की ब्रिटिश सरकार उन्हें देशद्रोही मानती है, तो मैं कहना चाहता हू कि वह दिन दूर नहीं है जब सभी विदेशियों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जायेगा।

मेरी भाषा की सरकार की व्याख्या न तो सटीक है और न ही व्यापक।

मेरे खिलाफ कुछ भ्रामक शब्द और बेतुके वाक्य लगाए गए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के लोगों के साथ व्यवहार करते समय, दोनों देशों सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने इस विचार को पुष्ट करने के लिए कहा कि यह देश भारतीयों का है और हमें अपनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मैं अपने हर शब्द के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। हालांकि मैं अपने ऊपर लगे आरोपों पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने भाषणों में कहे गए हर शब्द का बचाव करने के लिए तैयार हूं और यह घोषणा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सही था।

उनके बयान को सुनकर न्यायाधीश ने कहा, 'उनका अपना बचाव बयान उनके मूल बयान से ज्यादा राष्ट्रविरोधी है।' यह कथन पढ़ते ही न्यायालय द्वेष और घृणा से भर गया। डॉ. हेडगेवारजी ने एक संक्षिप्त भाषण के साथ इस कथन का अनुसरण किया।

उन्होंने कहा – 'भारत भारतीयों के लिए है।' इसलिए हम आजादी की मांग कर रहे हैं, जो मेरे सभी भाषणों का सार कहता है। लोगों को बताया जाना चाहिए कि आजादी कैसे और कब हासिल करनी है। अगर हमें यह मिल जाए तो हमें भविष्य में कैसे कार्य करना चाहिए? अन्यथा, यह पूरी तरह से संभव है कि स्वतंत्र भारत में लोग अंग्रेजों की नकल करने लगेंगे। हालाँकि अंग्रेज दूसरे देशों पर दमनकारी तरीकों से हमला करते हैं और शासन करते हैं, लेकिन जब अपने देश की स्वतंत्रता की बात आती है, तो वे खून बहाने को तैयार रहते हैं। यह हाल के युद्ध द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों, प्यारे देशवासियों से कहें कि अंग्रेजों की गुस्से वाली हरकतों की नकल न करें। किसी दूसरे देश की जमीन वगैरह हथियाने के बजाय अपनी आजादी शांति से प्राप्त करो। बस अपने देश में ही सन्तुष्ट रहो।

'मैं इस विमर्श को बनाने के लिए वर्तमान राजनीतिक मुद्दों को उठाना बंद नहीं करूंगा।' यह सभी के लिए स्पष्ट है कि अंग्रेज हमारे प्यारे देश पर अपना दमनकारी शासन थोप रहे हैं। वह कौन सा कानून है जो कहता है कि एक देश को दूसरे पर शासन करने का अधिकार है? मेरे पास आपके लिए एक सरल और सीधा सवाल है, सरकारी वकील। क्या

ISSN No. 2581-3528

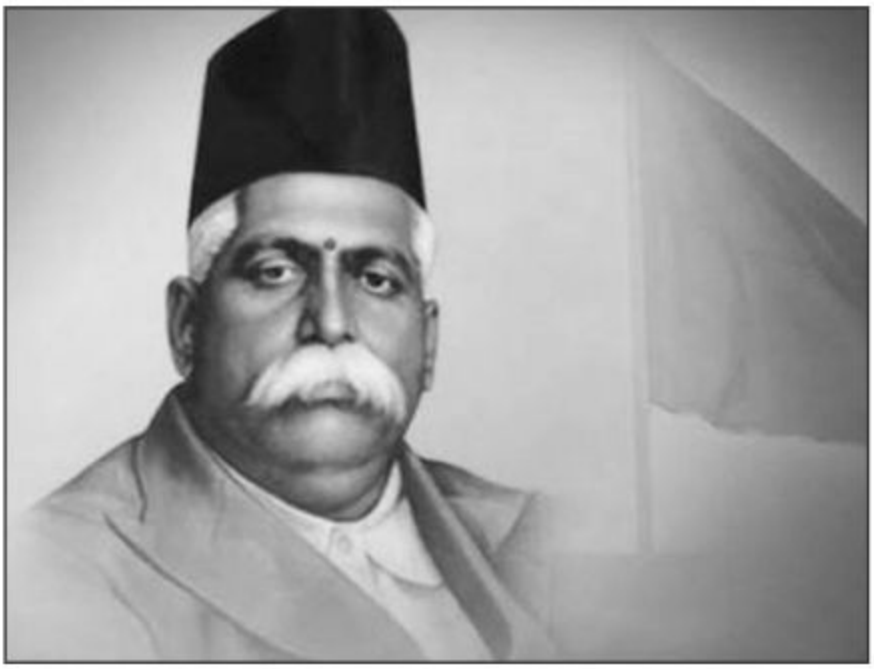

आप कृपया जवाब दे सकते हैं? क्या यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है? यदि किसी देश को दूसरे पर शासन करने का अधिकार नहीं है, तो अंग्रेजों को भारत पर शासन करने का अधिकार किसने दिया? और हमारे लोगों को कुचल दो? और खुद को इस देश का मालिक घोषित करते हैं? क्या यह उचित है? क्या यह नैतिकता की सर्वाधिक चर्चित हत्या नहीं है?

हमें ब्रिटेन पर अधिकार करने और उस पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे ब्रिटेन और जर्मनी में ब्रिटिश लोग स्वयं शासन करते हैं, वैसे ही हम भारतीय स्वशासन का अधिकार और अपना काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। हमारा दिमाग ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी के विचार के खिलाफ विद्रोह करता है, और इस बात को जोड़ता है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते। हम 'पूर्ण स्वतंत्रता' से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी।

मैं कानूनी नैतिकता में विश्वास करता हूं और कानूनों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि कानून टूटने के लिए नहीं है, बल्कि बनाए रखने के लिए है। यही कानून का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।

डॉ. हेडगेवार द्वारा कोर्ट को देशभक्ति का पत्र लिखे जाने के बाद कोर्ट ने अगस्त में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने उन्हे यह वचन देने का आदेश दिया कि वह अगले एक साल तक देशद्रोही भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और 3000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।

डॉ. हेडगेवार की प्रतिक्रिया थी, 'मेरी आत्मा कहती है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं।' मुझे और मेरे साथी भारतीयों को दबाना सरकार की कुनीतियों के कारण पहले से ही जल रही आग में पेट्रोल डालने के समान है। मुझे विश्वास है कि वह दिन आएगा जब विदेशी शासन अपनी गलतियों के लिए भुगतान करेगा। मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास है। नतीजतन, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं आदेशों का पालन नहीं करूंगा।'

जैसे ही उन्होने अपना उत्तर समाप्त किया, न्यायाधीश ने उन्हे एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। डॉ. हेडगेवार जी अदालत कक्ष से निकले, जहां भारी भीड़ जमा थी।

उन्होंने उसे संबोधित किया और कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से देशद्रोह के इस मामले में अपना बचाव किया है।' हालांकि, लोग अब भ्रमित हैं कि पक्ष में बहस करना भी राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ धोखाधड़ी का कार्य है; हालांकि, मैं मानता हूं कि जब किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा चलाया जाता है तो खुद को मरने के लिए छोड़ देना मूर्खता होगी। विदेशी शासकों के पापों को पूरी दुनिया के ध्यान में लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसे देशभक्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा। लेकिन अपनी रक्षा करने में विफल रहना कुछ मायनों में आत्महत्या करने के बराबर होगा। आप चाहें तो खुद उनकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो आपसे असहमत हैं, वे कम देशभक्त हैं ऐसा विश्वास मत करो। यदि हमें अपने देशभक्ति के कर्तव्य के पालन में जेल जाने के लिए कहा जाता है, या यदि हमें दंडित किया जाता है और अंडमान भेजा जाता है, या फांसी पर लटकाने की सजा दी जाती है, तो हमें अपनी इच्छा से ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी को भी इस धारणा के तहत नहीं सोचना चाहिए कि जेल जाना ही सब कुछ है, और यही स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। वास्तव में, हमारे पास जेल के बाहर अपने देश की सेवा करने के और भी कई अवसर हैं। मैं एक साल में आपके पास वापस आऊंगा। मैं तब तक आप सभी के संपर्क में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि 'पूर्ण स्वतंत्रता' आंदोलन को गति मिली होगी। भारत के विदेशी उपनिवेश वादियों के लिए अब देश मे ज्यादा समय रहना संभव नहीं है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और अलविदा कहना चाहता हूं।'

जेल से लौटने के बाद, अपने स्वागत समारोह के दौरान, डॉ हेडगेवार ने कहा, 'यह तथ्य कि मैं एक 'अतिथि' के रूप में एक वर्ष के लिए सरकारी जेल में कठोर सजा भुगत कर आ रहा हूं, मेरी योग्यता में कोई नई बात नहीं है, और अगर यह वास्तव में मेरी योग्यता में वृद्धि दर्शाता है, अगर ऐसा है तो सरकार को श्रेय लेना चाहिए। आज हम अपने देश की दृष्टि में सर्वोच्च स्थान रखते हैं और सबसे शानदार विचार रखते हैं। कोई भी विचार जो पूर्ण स्वतंत्रता से कम है वह हमें पूर्ण सफलता नही देगा। आपको यह बताना कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी बुद्धि का अपमान होगा, अगर हम इतिहास के पाठों से नहीं सीखते हैं। भले ही मृत्यु हमारे रास्ते में हो, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। भ्रमित मत हो; हमें अपने मन में परम लक्ष्य का दीप जलाते रहना चाहिए और अपनी शांतिपूर्ण यात्रा पर चलते रहना चाहिए।' (स्रोतः अरुण आनंद, पांच सरसंघचालक पुस्तक)

संघ अपने काम के बड़े पैमाने पर प्रचार में विश्वास नहीं करता है, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद संघ के कार्य देश में कई लोगों के लिए अज्ञात हैं।

(लेखक ब्लॉगर एवं शिक्षाविद हैं)

मीडिया सुर्खियां (20 जून, 2022 - 21 जुलाई, 2022)

20 जून : केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर सोशल मीडिया पर 'गलत सूचना फैलाने' के मामले में 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बैन लगाया।

21 जून : भारत के साथ-साथ आज पूरे विश्व में आठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया।

23 जून: यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एरियन स्पेस ने भारत के जीसैट-24 संचार उपग्रह को 22 जून 2022 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है।

24 जून : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

25 जून : पाकिस्तान का नापाक झूठ एक बार फिर हुआ उजागर। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर जिंदा है और उसे पाकिस्तान की एक एंटी टेररिजम कोर्ट ने 15 साल की कैद की सजा सुनाई है।

26 जून : पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुल्क की वित्तीय सेहत को दुरुस्त करने के लिए उद्योगों पर 'Super Tax' लगाने का ऐलान किया है।

27 जून : दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। 506 और 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

28 जून : दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में एक 'आपत्तिजनक ट्वीट' करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी।

29 जून : राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। राजस्थान DGP के मुताबिक हत्यारों का कराची के दावत-ए-इस्लामी और तहरीक-ए-लब्बैक से संबंध है।

♦ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

30 जून : उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लेकर राजस्थान ही नहीं देशभर में आक्रोश है। उदयपुर में हत्या के विरोध में आज बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और कन्हैया के लिए इंसाफ की मांग की।

1 जुलाई : भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की पूरे देश में धूम। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगला आरती की तो वहीं ओडिशा के पुरी में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटे।

3 जुलाई : भारतीय धाविका पारूल चौधरी ने लॉस एंजिलिस में साउंड रनिंग मीट के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और महिला 3000 मीटर स्पर्धा में नौ मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट बनीं।

4 जुलाई : भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 324 को 4 जुलाई 2022 को आईएनएस देगा विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रभावशाली कमीशनिंग समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

6 जुलाई : उत्तर प्रदेश के संभल में एक मुस्लिम दुकानदार हिन्दू देवी-देवताओं के फोटो वाले अखबार में मांस बेचते देखा गया। मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मोहम्मद तालिब को जेल भेज दिया गया है।

7 जुलाई : पीएम मोदी ने वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया।

8 जुलाई : जम्मू और कश्मीर में आठ जुलाई को बड़ा प्राकृतिक हादसा हो गया। दरअसल, अमरनाथ में निचली पवित्र गुफा के पास शाम करीब साढ़े पांच बजे बादल फट गया। इस आसमानी आफत ने कई लोगों की जान चली गई।

9 जुलाई : समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता नहीं रहीं। नौ जुलाई को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में उनका निधन हो गया।

10 जुलाई : भारत के पहले स्वदेशी इंडिजिनिस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने चौथे फेस के सी ट्रायल पूरे कर लिए हैं। यह देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है।

11 जुलाई : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी को फिर भेजा नोटिस, 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा।

12 जुलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवघर में एयरपोर्ट समेत करीब 16,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देशभर से श्रावणी मेला के मौके पर देवघर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए कनेटिविटी के लिहाज से एक बड़ा तोहफा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है।

13 जुलाई : केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया था।

14 जुलाई : भारत में मंकीपॉक्स वायरस का पहला केस केरल में सामने आया। वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी।

♦ लखनऊ के लुलू मॉल प्रबंधन ने उन अज्ञात नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिन्होंने मॉल के भीतर नमाज अदा की थी।

15 जुलाई : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई को कोलकाता में हुगली नदी में दूसरा प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट 'दूनागिरी' लॉन्च किया। उन्होंने फ्रिगेट लॉन्च करने के बाद कहा कि यह जहाज देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगा।

16 जुलाई : प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया।

17 जुलाई : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जगदीप धनखड़ का राज्यपाल पद से इस्तीफा स्वीकार किया, मणिपुर के राज्यपाल को मिला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया उम्मीदवार।

18 जुलाई : राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा हैं उम्मीदवार।

19 जुलाई : श्रीलंका संकट पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका में बहुत गंभीर संकट है तथा स्थिति कई मायनों में अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, 'मामला करीबी पड़ोसी से संबंधित है, हम स्वाभाविक रूप से परिणामों को लेकर चिंतित हैं।'

20 जुलाई : श्रीलंका के आर्थिक और सियासी संकट के बीच 20 जुलाई को रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुने गए।

♦ उत्तर प्रदेश में मदरसों में TET पास शिक्षक ही भर्ती किए जाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए जल्द ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

21 जुलाई : द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है। वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी।

संयोजन : प्रतीक खरे

पत्रिका के जुलाई अंक की समीक्षा

केशव संवाद का जुलाई अंक हिंदू एवं हिंदुत्व को समर्पित अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंक हैं जिसमें समसामयिक विषयों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस अंक में पहला लेख 'हिंदू हिंदुत्व और हिंदुवाद' शीर्षक के अंतर्गत श्री रतन शारदा जी लिखते हैं कि भारत की संस्कृति और गुण ही हिंदुत्व है। दंगे 'वसुधैव कुटुंबकम' की संस्कृति पर कुठाराघात विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं प्रो. अनिल कुमार निगम जी ने। 'विश्व में हिंदुत्व की गूंज' विषय पर डॉ आनंद मधुकर जी लिखते हैं कि विश्व के प्रकृति का अस्तित्व हिंदुत्व पर चलकर ही बचा रह सकेगा। विश्व पटल पर हिंदुत्व का बदलता स्वरूप विषय के अंतर्गत डॉ. वेद प्रकाश शर्मा जी लिखते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो योग के साथ-साथ हिंदू धर्म के विभिन्न मतों के अनुयायियों ने विदेशों में हिंदू धर्म की ध्वजा को सुदृढ़ता से स्थापित किया है। 'हिंदुत्व और ज्योतिष' विषय पर अमित शर्मा जी लिखते हैं कि हिंदुत्व को धर्म नहीं जीवन पद्धति माना जाता है। 'हिंदुत्व, धर्म और पंथ में अंतर' विषय पर डॉ. सुनीता शर्मा जी का लेख है। वैश्विक स्तर पर पनप रहे आतंकवाद का हल केवल हिंदू सनातन संस्कृति में ही निहित है विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं प्रहलाद सबनानी जी ने। भारत का छुपा हुआ तथ्यपरक इतिहास विषय पर प्रो.बी.एस राजपूत जी का लेख है। अनुपम स्थापत्य कला की विरासत रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को संक्षेप में वर्णित किया है प्रो.हरेंद्र सिंह जी ने। संचार तंत्र की विवशता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं श्री नरेंद्र भदोरिया जी ने।

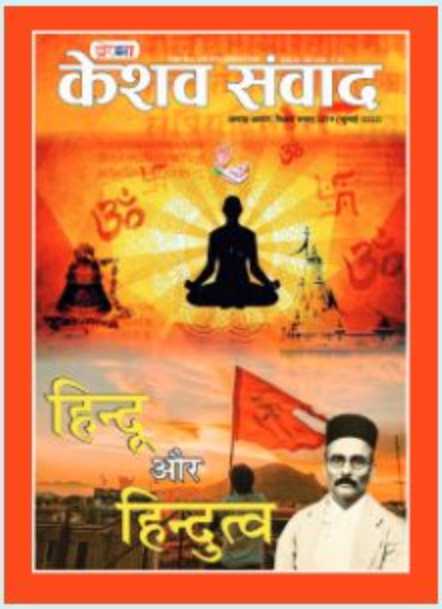

सनातन संस्कृति में गुरु देवता तुल्य माना गया है और इसी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं श्री राम कुमार शर्मा जी जिसका शीर्षक है गुरु पूर्णिमा। छत्रसाल पर कविता लिखी है डॉ अंजना सिंह सेंगर जी ने। कानून नहीं जागरूकता से ही दूर होगा बाल श्रम का कलंक विषय पर श्रीमती स्वाति सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 'प्रेम सदा मन राखिए मानवता हो धर्म' शीर्षक के अंतर्गत श्रीमती अनुपमा अग्रवाल जी ने अलीगढ़ निवासी ललित मोहन जी के सेवा कार्यों का वर्णन किया है। भारत की पहली महिला पत्रकार हेमंत कुमारी देवी चौधरानी जी के विषय में डॉ. नीलम कुमारी जी ने लिखा है। राम राज्य पुस्तक की समीक्षा की है डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया जी ने। कैसी होनी चाहिए भविष्य के भारत की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किये हैं श्रीमती मोनिका चौहान जी ने। 'पूर्व सरकारों का बेपरवाह रवैया या फिर कोई साजिश है' शीर्षक के अंतर्गत प्रतीक खरे जी का देश में लापता हुए 100 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारक पर चिंतन वर्णित है। 'कैसे खेलन जाबो सावन में कजरिया बदरिया घिर आवे ननदी' विषय पर नीलम भागी जी ने सावन के त्योहारों का वर्णन किया है। 'राष्ट्रीय बनाम नकली विमर्श' विषय पर पंकज जगन्नाथ जयसवाल जी का लेख है। उत्तर प्रदेश में अब बहेगी धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन विकास की बयार विषय पर मृत्युंजय दीक्षित जी ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संस्कृति का वर्णन किया है। अंत में पत्रिका के जून अंक की समीक्षा श्री अमित शर्मा जी द्वारा की गई है।

संयोजन : डॉ. प्रियंका सिंह

प्रेरणा विमर्श 2020 के अवसर पर केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक सिने विमर्श और भारतीय विरासत का विमोचन करते
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी,
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक अन्त्योदय की ओर का विमोचन करते सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ लेखिका अद्वैता काला जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक पत्रकारिता के अग्रदूत का विमोचन करते उत्तर प्रदेश के मा.राज्यपाल श्री राम नाईक जी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघचालक श्री सूर्यप्रकाश टोंक जी, माखनलाल चतुर्वेदी विवि. के पूर्व कुलपति
श्री जगदीश उपासने जी व अन्य अतिथिगण